


ग्रामीण विकास
को समर्पित

कृषकोंत्र




वर्ष 57 अंक : 2

दिसम्बर 2010

मूल्य : ₹ 10



गांवों से शहरों
की ओर पलायन



जय विरासत

जय जताना




लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र का सादर नमन

2 अक्टूबर 2010



सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार





कुरुक्षेत्र



वर्ष : 57 ★ मासिक अंक : 2 ★ पृष्ठ : 48 ★ अग्रहायण—पौष 1932 ★ दिसम्बर 2010

प्रधान संपादक

नीता प्रसाद

वरिष्ठ संपादक

कैलाश चन्द मीना

संपादक

ललिता खुराना

संपादकीय पत्र—व्यवहार

वरिष्ठ संपादक,

कमरा नं. 655, 'ए' विंग,

गेट नं. 5, निर्माण भवन

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली—110 011

दूरभाष : 23061014, 23061952

फैक्स : 011—23061014, तार : ग्राम विकास

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक

जे.के. चन्द्रा

व्यापार प्रबंधक

सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

ई-मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये

वार्षिक शुल्क : 100 रुपये

द्विवार्षिक : 180 रुपये

त्रिवार्षिक : 250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)

अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)



यूं रुकेगा ग्रामीणों का पलायन

धनजी चौरसिया

4



शहर की ओर रुके प्रवास तो होगा

गांव का विकास

हरीश केशरवानी

10



कपास आधारित उद्यमिता पलायन
एक अध्ययन

पवन कुमार जायसवाल
व डॉ. आशा साख्ती गुप्ता

14



गांवों से पलायन : कारण और निवारण सुभाष सेतिया

19



ग्रामीण पलायन रोकने में कारगर
स्वयंसहायता समूह

उपेन्द्र प्रकाश सिंह

26



पौष्टिकता से भरपूर जड़ी की फसल

डॉ. यशवीर सिंह शिंवे

32



सरती मुलभ औषधि मूली

डॉ. सुतील कुमार खण्डेलवाल

37



नोरती ने रचा इतिहास

संगीता यादव

42

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड—4, लेवल—7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली—110 066 से पत्र—व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड—4, लेवल—7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली—110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

खंपादवीथि

गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। हिंदी के जाने-माने कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने 1930 के दशक में लिखे अपने उपन्यास 'गोदान' में गांव छोड़कर शहर जाने की समस्या को उठाया था तो 1950 के दशक में आई बिमल राय की प्रसिद्ध फिल्म 'दो बीघा जमीन' इसी समस्या पर आधारित थी। ग्रामीण और शहरी आबादी में बदलाव यूं तो पिछली सदी के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था किंतु आजादी के बाद इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन देखने में आया है। 1951 में हुई पहली जनगणना में दर्ज 83 प्रतिशत ग्रामीण आबादी 2001 की जनगणना तक घटकर 74 प्रतिशत तक आ गई है और इस समय यह 70 प्रतिशत से भी कम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि पलायन की मौजूदा गति जारी रही तो अगले 25–30 वर्षों में शहरों और गांवों की आबादी बराबर-बराबर हो सकती है।

गांवों में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-कस्बों की ओर मुँह करना पड़ा। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक दूसरा बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार और शिक्षा के साथ-साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार और स्वच्छता जैसी अनेक सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम हैं। इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन कारणों और परिस्थितियों को दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं किए हैं। आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की स्थिति बेहतर बनाने और गांववालों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान दिया जाता रहा है।

गांवों में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं। इनमें सबसे क्रांतिकारी उपाय है – महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)। रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाली यह योजना भारत ही नहीं समूचे विश्व की अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। इसमें रोजगार से रहित सभी परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का काम पाने की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा के चलते देशभर में ग्रामीण इलाकों का कायापलट होने लगा है और ग्रामीण पलायन रोकने में यह महत्वपूर्ण अस्त्र साबित हो रहा है।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम भी चलाया है जिसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं जुटाने की कई योजनाएं चलाई गई हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण टेलीफोनी योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2012 तक जनजातीय इलाकों में 500 या उससे अधिक तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ग्रामीण टेलीफोनी कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में फोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों में बिजली की आपूर्ति भी भारत निर्माण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।

संविधान संशोधन के जरिए पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार संपन्न बनाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका भी काफी बढ़ गई है। पंचायतों में महिलाओं व उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होने लगी है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हुई हैं जो वंचित और उपेक्षित लोगों में अधिकारों के प्रति चेतना जगाने के अलावा सिंचाई, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, स्वच्छता आंवर सहित सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कार्यक्रम चला रही हैं।

पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार 'शहरों को गांवों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगाई जा सकती है।' 'भारत निर्माण' और 'मनरेगा' वास्तव में इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। निश्चित तौर पर इन उपायों से गांवों से शहरों की ओर पलायन की गति में कमी आएगी। इससे न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' का स्वर्ज साकार होगा; साथ ही, शहरों में पलायन की वजह से पैदा हुई कई समस्याओं से भी निजात मिल पाएगी।



उपभोक्ता : अपने उत्तरदायित्व निभाएं, अधिकार जताएं।

सयानी रानी का कहना-

उपभोक्ता सरकारी अधिनियम,
1986 के प्रावधानों की
जानकारी प्राप्त करें और एक
जागरूक उपभोक्ता बनें...



शिकायत कैसे की जाए

शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :-

- शिकायत कर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता।
- शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ।
- शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज।
- शिकायत पर शिकायतकर्ताओं अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं।

शिकायत कहाँ की जाए

यह सामान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है।

- यदि यह 20 लाख रु. से कम है— जिला फोरम में।
- यदि यह 20 लाख रु. से अधिक लेकिन 1 करोड़ रु. से कम है— राज्य आयोग के समक्ष।
- यदि 1 करोड़ रु. से अधिक है—राष्ट्रीय आयोग के समक्ष।

जनाहित में जारी :



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

यूं रुकेगा ग्रामीणों का पलायन

धनराजी चौरसिया

ग्रामीणों का

पलायन रोकने के लिए

गांवों में जहां रोजगार के नए साधन विकसित

किए जा रहे हैं वहीं परंपरागत कामधंधे को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। यही बजह है कि चालू सत्र के बजट में केंद्र सरकार ने गांवों के विकास को ज्यादा तवज्जो दिया है। एक तरफ आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए करोड़ों का बजट दिया गया है तो दूसरी तरफ स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश भी किसी न किसी रूप में पलायन रोकने की दिशा में ही एक प्रयास है। मनरेगा ने भी गांवों से पलायन रोकने में सकारात्मक भूमिका निभाई है।

ग्रा

मीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। यूपीए सरकार ने इस दिशा में दो कदम आगे बढ़ते हुए हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती स्वीकार की चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भुखमरी हटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहरी अंतराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसलिए सरकार की ओर से एक नई पहल की गई। गांवों से शहरों की ओर हो

रहे पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गत बजट में भी तमाम प्रावधान किए हैं। इसका लाभ दिखाई भी पड़ने लगा है।

सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। उन्हें गांव में ही शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं मिलें। इसके तहत भारत के तमाम गांव मॉडल विलेज के रूप में विकसित हुए हैं। मनरेगा के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि ग्रामीणों का पलायन रुका है। लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी भी। मजदूरों में इस बात की खुशी है कि उन्हें काम के साथ ही सम्मान भी मिला है। कार्यस्थल पर उनकी आधारभूत जरूरतों का भी ध्यान रखा गया। उन्हें यह



कहते हुए खुशी होती है कि अब गांव शहर एक साथ चलेगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा।

पलायन रोकने के सरकारी प्रयास और भविष्य की जरूरतें

स्वास्थ्य सेवाएं

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की 12 अप्रैल, 2005 को शुरूआत की। यह योजना राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा में लागू की गई है। इसमें भी पंचायत स्तर पर आशा सहयोगिनी नियुक्त की गई। इस योजना के जरिए देशवासियों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है साथ ही परिवार नियोजन की भी। केंद्र सरकार इस योजना में अकूल धन खर्च कर रही है। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि कई राज्य केंद्र की ओर से मुहैया कराए गए धन को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इस योजना से ग्रामीणों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। लोगों को विश्वास हो रहा है कि अब उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कम से कम प्राथमिक स्तर पर निस्तारण तो हो सकता है। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता 'आशा' की नियुक्ति होने से जहां हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिला है वहीं गांव स्तर पर रोग प्रतिरक्षण, सुरक्षित प्रसव, नवजात की देखभाल, जनजनित रोगों आदि की निगरानी हो पा रही है। वह ग्रामीणों को विभिन्न स्तरों पर जागरूक करती है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2006–07 में इस योजना के तहत जहां ₹ 8207 करोड़ खर्च किए वहीं वर्ष 2009–10 में इसे बढ़ाकर ₹ 1250 करोड़ कर दिया। इसी तरह अब ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समितियों का गठन किया जा रहा है। इन समितियों की ओर से निगरानी किए जाने की वजह से ग्राम




स्तर पर तैनात आशा सहयोगिनी नियमित रूप से गांव आती है। इन सबके बाद भी ग्रामीण इलाके से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा।

सकल प्रजनन दर : केंद्र सरकार की ओर से तमाम प्रयास के बाद भी अभी तक सकल प्रजनन दर पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी अभियान चलाने की जरूरत है। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सकल प्रजनन का लक्ष्य हासिल करना होगा।

विवाह की आयु : सरकार की ओर से विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद भी राजस्थान, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। इससे कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं जबकि शहरी इलाके में ऐसा नहीं है। शहरों में निर्धारित उम्र के बाद ही शादियां हो रही हैं। शहरों की तरह ही गांवों में भी ऐसा माहौल पैदा करना होगा।

मातृत्व स्वास्थ्य : केंद्र सरकार की ओर से तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाने के बाद भी अभी भी मातृत्व स्वास्थ्य के मामले में पुख्ता इंतजाम नहीं हो सके हैं। इसकी वजह से आज भी तमाम गर्भवती महिलाएं प्रसव से पूर्व शहरों में रहना पसंद करती हैं क्योंकि शहरों में उन्हें चिकित्सकीय सुविधा आसानी से मिल जाती है।



मृत्यु दर में कमी : पुरुषों और महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बढ़कर क्रमशः 62 और 64 वर्ष हो गई है। साथ ही, शिशु मृत्यु दर (पांच वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु दर) गिरकर 53 प्रति हजार जन्म हो गई है। इसमें ग्रामीण और शहरी आंकड़ा अलग-अलग कर दिया जाए तो गांवों में अभी भी शिशु मृत्यु दर अधिक है। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी मृत्यु दर कम करना होगा।

मानव संसाधन विकास

शहरों की अपेक्षा अभी गांवों में मानव संसाधन विकास काफी पीछे है। हालांकि सरकार की ओर से इस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है लेकिन शहरों की अपेक्षा गांवों की स्थिति अभी भी खराब है। यदि शहरों की तरह ही गांवों में भी मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया जाए तो पलायन आसानी से रोका जा सकता है। केंद्र सरकार निम्न बिंदुओं पर ध्यान देते हुए योजनाएं तैयार करे तो परिणाम काफी हद तक सकारात्मक दिखेंगे। इसके लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है –

अर्थव्यवस्था की गतिशीलता : शहरों की तरह ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा को गति देने के लिए ग्रामीण स्तर पर बैंकों का संचालन करने की रणनीति बनाई गई है। इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाने और लोगों को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है।

शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार : शहरों की अपेक्षा गांवों में अभी शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो सका है। केंद्र सरकार की ओर से गत दिनों कराए गए सर्वे में भी यह बात सामने आ चुकी है कि शहरों की अपेक्षा गांवों में शिक्षा का संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार नहीं हो सका है। इसलिए इस बिंदु पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि अभी भी तमाम अभिभावक सिर्फ इसलिए शहरों में रहते हैं ताकि उनके बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिल सके।

तकनीकी कौशल विकास : शहरों में तमाम तकनीकी कौशल विकास के साधन मौजूद हैं जबकि गांवों में यह सुविधा नहीं है। गांवों में अभी भी परंपरागत चीजें बनी हुई हैं। इसलिए भी लोग गांव के बजाय शहरों की ओर जाते हैं। यदि शहरों की तर्ज पर गांवों में भी तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए तो काफी हद तक पलायन रोका जा सकता है।

महिला विकास

शहर हो या गांव, हर जगह आबादी दो भाग में है। भारत में एक हजार पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। इसके बाद भी अभी तक महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिला है। इस समस्या के निस्तारण के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है –

अशिक्षा : केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, साइकिल वितरण सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी अभी भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। कई स्थानों पर शिक्षा संबंधी संसाधन न होना भी परेशानी का कारण है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

आर्थिक निर्भरता : शहरों में महिलाएं काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं लेकिन गांवों में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। इसके पीछे सामाजिक कारण भी हैं और सरकारी संसाधनों का अभाव



भी। यदि गांवों की महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं तो पलायन की समस्या दूर हो सकती है।

कौशल विकास : महिलाओं को विभिन्न तरह के कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण दिए जाएं। शहरों में काफी हद तक यह सुविधाएं हैं, लेकिन गांवों में अभी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं।

रोजगार : शहरों में तमाम महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं, लेकिन गांव में सभी महिलाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। ज्यादातर घरेलू कामकाज में ही अपना ज्यादा समय व्यतीत करती हैं। इसलिए ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ने की जरूरत है।

स्वास्थ्य : गांव की अपेक्षा शहर में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर किसी तरह का भय नहीं रहता है। उन्हें यह चिंता नहीं रहती है कि बीमार होने पर वे इलाज के लिए कहाँ जाएंगी, जबकि गांवों में अभी भी यह समस्या है।

उद्यमिता एवं कौशल विकास

गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने में उद्यमिता एवं कौशल विकास की बड़ी भूमिका है। यदि इस पहलू को सशक्त कर दिया जाए तो पलायन अपने आप थमता नजर आएगा। इसके तहत निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान : गांवों में अभी भी एक ब्लॉक में एक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जबकि शहरों में इनकी संख्या ज्यादा है। यदि दो-तीन गांवों पर अथवा न्याय पंचायत स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुल जाए तो पलायन काफी हद तक रुक जाएगा।

युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण :

शहरों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अलावा अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जबकि गांवों में ऐसी सुविधा नहीं है। पलायन के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है। लोगों को स्वरोजगार के प्रति प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है।

लघु उद्योग : गांवों में स्थित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की ओर से तमाम प्रयास किए

जा रहे हैं। लघु उद्योग के लिए ऋण सहित तमाम सुविधाएं दिलाई जा रही हैं। फिर भी जागरूकता के अभाव में लोग गांव में रहने के बजाय शहरों की ओर पलायन करते हैं। यदि लघु उद्योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए तो काफी हद तक पलायन रुक सकता है।

कृषि विकास

अभी भी गांवों में ज्यादातर लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। सरकार की ओर से कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों के उन्नयन के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके बाद भी लोग कृषि को धाटे का सौदा मान रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर यह कहते-फिरते हैं कि किसानी मजबूरी में कर रहे हैं। यदि निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो कृषि को लेकर लोगों की मानसिकता को बदला जा सकता है और शहरों की ओर पलायन करने के बजाय कृषि से दोबारा जुड़ सकते हैं—

फलों की खेती : गांवों में अभी भी ज्यादातर लोग परंपरागत खेती कर रहे हैं। युवाओं को समझाया जाए कि वे परंपरागत खेती के साथ ही फलों की भी खेती करें। इससे उन्हें शहरों में मिलने वाले रोजगार से ज्यादा आमदनी हो सकती है।

जड़ी-बूटी की खेती : फलों की तरह ही जड़ी-बूटी की खेती के प्रति भी लोगों को आकर्षित किया जाए। सफेद मूसली,





ईसबगोल सहित तमाम खेती के जरिए कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है।

नई खेती : अब परंपरागत खेती के अलावा एक नई तरह की खेती का चलन हो गया है। इसमें एक साथ कई-कई फसलें तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा अधिक मुनाफा देने वाली खेती जैसे स्ट्रोबेरी, मेंथी, लेमन घास आदि की खेती की ट्रेनिंग देकर लोगों को फिर से खेती से जोड़ा जा सकता है।

जैविक खेती के बारे में अभी भी तमाम किसान जानते ही नहीं हैं जबकि जैविक खेती में कई तरह के फायदे हैं। इसके बारे में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जरूरत है।

पशुधन विकास

ग्रामीण इलाके में खेती का पर्याय है पशुपालन। लेकिन जिस तरह से खेती के प्रति लोगों का ध्यान कम हुआ है, उसी तरह से पशुपालन से भी मोहब्बंग हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से पशुपालन को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी निम्न तरीके अपनाकर लोगों को फिर से पशुधन विकास से जोड़ा जा सकता है।

भेड़, बकरी पालन : पहले भेड़ एवं बकरी पालन राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों का प्रमुख धंधा था। लेकिन धीरे-धीरे यह लुप्त होता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से गत बजट में पशुपालन विकास के तहत भेड़ बकरी विकास केंद्रों को पोषित करने की बात कही गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि विभाग आदि के जरिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीणों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं आई है। यदि लोग जागरूक हो जाए और यह मान लें कि इसके जरिए भी जीविका चलाई जा सकती है तो पलायन में काफी हद तक गिरावट आएगी।

कुकुट पालन : भेड़—बकरी की तरह ही कुकुट पालन परिवेश में आमदनी का सबसे उत्तम जरिया है। जो लोग इस कारोबार में लगे हैं वे शहरों की ओर जाने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तमाम युवाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए तो भी पलायन काफी हद तक रुक सकता है।

चरागाह विकास : गांवों में पहले चरागाह हुआ करते हैं। इसके लिए बाकायदा ग्राम पंचायत जमीनें आरक्षित करती थीं, लेकिन अब चरागाह की जमीन पर दूसरे काम हो रहे हैं। चरागाह न होने के कारण भी लोग पशुपालन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राम पंचायतें यदि चरागाह की जमीन को फिर से आरक्षित करें

और चरागाह बाकायदा विकसित किए जाए तो पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

नस्ल सुधार : ग्रामीण इलाके में जो लोग पशुपालन से जुड़े हैं, उन्हें अच्छी नस्लों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को अच्छी नस्लों के बारे में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। साथ ही सरकार की ओर से भी नस्ल सुधार प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की जरूरत है।

पशु चिकित्सा : पशुपालन के प्रति लोगों का रुझान कम होने का एक बड़ा कारण पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार न होना है। अभी कई बार ऐसी महामारी फैलती है कि सेकड़ों पशु मौत के मुंह में समा जाते हैं। ऐसे में पशुपालकों को काफी पैसे का नुकसान होता है। पशुओं के बीमार होने पर उन्हें चिकित्सकों की तलाश में काफी दूर जाना पड़ता है। सरकारी स्तर पर पर्याप्त पशु चिकित्सालय न होने के कारण पशुपालक इसे खतरा मानते हैं।

शिक्षा सुधार


केंद्र सरकार की ओर से पठन—पाठन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। कोशिश है कि हर गांव में कम से कम प्राथमिक विद्यालय जरूर हों। लेकिन अभी गांवों में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को विश्वास नहीं है। सरकारी स्कूल में उसी परिवार के बच्चे जाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आर्थिक सम्पन्न परिवार प्राइवेट स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लोगों को लगता है कि वे गांव में रहकर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। यदि गांवों में बच्चों की पढ़ाई के साधन मौजूद रहें तो पलायन काफी हद तक रुक सकता है। भारत में अभी भी शिक्षा दर 67 फीसदी ही है। इसे सौ फीसदी पर पहुंचाने की जरूरत है।

शिक्षा व्यवस्था के प्रसार, संसाधनों के विकास के साथ ही उसकी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है कि उनके बच्चों को गांव में रहते हुए भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी भी दूर की जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, सतत शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।

पेयजल, जलनिकासी एवं स्वच्छता

शहरों की अपेक्षा गांवों में न तो पेयजल की समुचित व्यवस्था है और न ही स्वच्छता की।

केंद्र एवं राज्य सरकार की कोशिश होती है कि गांव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। इसके लिए सरकार की ओर से बाकायदा पेयजल मिशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा



अन्य मदों से भी पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गांव—गांव में हैंडपंप की व्यवस्था की जा रही है। जिन स्थानों पर हैंडपंप संभव नहीं है वहां पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन अभी भी तमाम स्थानों पर पेयजल संकट है। सफाईकर्मी की नियुक्ति के बारे में गांवों में स्वच्छता का अभाव है।

गांवों से हो रहे पलायन रोकने के लिए बजट में प्रावधान

- भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना कार्यक्रम के लिए ₹ 480000 करोड़ का प्रावधान।
- बिजली के लिए वर्ष 2009–10 में ₹ 22330 की अपेक्षा वर्ष 2010–11 में 5130 करोड़ का प्रावधान।
- स्कूली शिक्षा का बजट ₹ 26800 की अपेक्षा वर्ष 2010–11 में ₹ 31036 करोड़।
- परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन को ₹ 19534 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2010–11 में ₹ 22300 करोड़ किया।
- ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2010–11 का ₹ 66100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- शहरी विकास में गत वर्ष की अपेक्षा 75 फीसदी की वृद्धि करते हुए वर्ष 2010–11 में ₹ 5400 करोड़ किया।
- लघु मध्यम उद्योग के लिए ₹ 2400 करोड़।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ₹ 1000 करोड़।
- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आवंटन बढ़ाकर ₹ 40100 करोड़ कर दिया गया। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹ 22300 करोड़ का प्रावधान। मनरेगा श्रमिकों को भी मिलेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ।
- महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 'साक्षर भारत' नामक कार्यक्रम चलेगा। महिला एवं बाल विकास के बजट में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी।
- फसल कार्यों के लिए कुल ₹ 13805.82 करोड़ का प्रावधान। इसमें ₹ 6722 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए हैं। लघु सिंचाई के लिए ₹ 1000 करोड़।
- कृषि ऋण ₹ 325000 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2010–11 में ₹ 375000 करोड़ किया गया है।
- संचार एवं सड़क की तरह ही 2011 तक करीब—करीब हर गांव में बैंक एवं बीमा की पहुंच बन जाए। बजट में 2000 की आबादी वाले करीब 60 हजार गांवों एवं कस्बों में बैंकिंग व बीमा के लिए ₹ 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।

(लेखक स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हैं)


ई-मेल : dhanjichaursiya4@gmail.com

शहर की ओर रुके

प्रवास तो होगा गांव का

विकास

हरीश केशरचानी



एक ऐग्नोलिक इकाई से दूसरे क्षेत्र में स्थानिक रूप से गतिशीलता को प्रवास या पलायन कहा जा सकता है, एक तरह से प्रवास सांस्कृतिक विसरण, सामाजिक एकीकरण व जनसंख्या के पुनर्वितरण का महत्वपूर्ण उपकरण है जो न सिर्फ किसी एक इकाई को प्रभावित करता है वरन् इसके परिणामस्वरूप जहां से प्रवास होता है और जहां को प्रवास होता है दोनों स्थान विविध तरीके से जनांककीय, सामाजिक व आर्थिक तरीके से प्रभावित होते हैं।

पलायन किसी एक कारण से होने वाले घटक का परिणाम नहीं है। यदि प्रवास अथवा पलायन के विविध कारकों को खोजे तो ज्ञात होता है कि यह विवाह परम्परा, रोजगार की आवश्यकता व अवसर, शिक्षा की उपलब्धता तथा मानव विकास के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुरक्षा का कारण इत्यादि को एकाकी व समग्र रूप से माना जा सकता है।

भारत में गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बेहद ज्यादा है। एक तरफ शहरी चकाचौंध और दूसरी ओर गांवों में बेरोजगारी, अशिक्षा, खेती पर मौसम की मार और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया। इस पलायनवादी प्रवृत्ति के चलते नगरों में कई अराजकताओं का लगातार विस्तार हो रहा है जिसमें सामाजिक अपराध, प्रदूषण और यातायात की समस्या आम है। वहीं गांवों में भी पलायन से कई सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं जिसमें सामाजिक सौहार्द में कमी और सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के विघटन की समस्या प्रमुख है। ऐसे में ग्रामीण पलायन रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास जरूरी हैं। चूंकि पलायन के पीछे अकांक्षाओं की पूर्ति और अवसर की उपलब्धता मुख्य कारण होते हैं अतः इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने से ही पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही इससे गांव और शहर की दूरी भी घटेगी।

- यद्यपि किसी भी राज्य या देश में पलायन की मुख्यतः चार धाराएं होती हैं जैसे –
- गांव से गांव पलायन
- गांव से नगर पलायन
- नगर से नगर पलायन
- नगर से गांव पलायन

परन्तु भारत में गांव से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा है। एक ओर जहां नगरों की चकाचौंध, भागमभाग की जिन्दगी, उद्योगों, कार्यालयों, तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते हैं वहीं इनके साथ यहां अच्छे परिवहन साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं ने गांव के युवकों, महिलाओं को आकर्षित किया है। वहीं गांव में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, खेती पर मौसम की मार,



बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया।

इस प्रकार जहां जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप मूल रूप से जन्म दर व मृत्यु दर पर निर्भर करता था वहीं आज यह पलायनवादी प्रक्रिया जनसंख्या की संरचना में कई प्रकार के मूलभूत परिवर्तन करने में सक्षम हो गई है। यदि पलायन के प्रभावों का आंकलन क्रमबद्ध रूप से किया जाए तो कई महत्वपूर्ण एवं अप्रत्याशित तथ्य सामने आते हैं। परन्तु निश्चित आंकड़ों के अभाव में इसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्रस्तुत नहीं हो पाता। फिर भी इस पलायन की गति ने गांवों के साथ-साथ शहरों में भी कई जनांककीय, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव एवं परिणाम को दिशा दी।

यदि जनांककीय व जनसंख्या संबंधी प्रभावों को देखा जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि गांव से युवाओं और कामगारों का एक बड़ा हिस्सा नगरों में पलायन किया जिसने जनसंख्या की उपर संरचना के साथ-साथ लिंगानुपात को भी प्रभावित किया। वरन् दोनों ही क्षेत्रों ने गांव एवं शहर में जनसंख्या वृद्धि दर को भी प्रभावित किया। इसी तरह से गांव से शहरों में होने वाले पलायन में पुरुष प्रधानता प्रमुख है अर्थात् इसका परिणाम यह हुआ कि गांवों में जो प्राकृतिक लिंगानुपात होना चाहिए उससे ज्यादा है और नगरों में लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम हो गया, जो

जनसंख्या की जन्मदर, मृत्युदर एवं वृद्धि दर को समग्र रूप से प्रभावित करने का कारक बना।

यदि पलायन के होने वाले सामाजिक परिणाम का अध्ययन करे तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां नगरों में चारों ओर से आने वाली जनसंख्या संकेंद्रण से एक ही नगर कई क्षेत्रीयता, भाषा, सामाजिक रीति-रिवाज का केन्द्र बनती जा रही है वहीं कुछ विद्वानों ने इस पलायन को भारत में होने वाले नगरों का ग्रामीणीकरण की संज्ञा दी, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि नगरों में जाति आधारित उच्चता-निम्नता की कमी आई, लोगों में सामाजिक बंधनों की पकड़ ढीली हो रही है।

यदि ग्रामीण पलायन का आर्थिक परिणाम देखे तो इसका प्रभाव लोगों के संसाधन अनुपात, कार्यकारी संरचना, रोजगार के अवसर, जनाधिक्य के रूप में परिलक्षित होता है। जहां शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर तथा आय में वृद्धि के अवसर तो प्राप्त होते हैं पर इसके अन्य नकारात्मक प्रभाव स्वरूप नगर नियोजन बुरी तरह से प्रभावित होता है जिसमें नगरों की यातायात प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक अपराध में वृद्धि तथा कई अन्य मांग एवं आपूर्ति प्रणाली प्रभावित होती है। इससे न सिर्फ विकास ही गति बाधित होती है साथ ही अराजकता की भी स्थिति पैदा हो जाती है।



પલાયન કી જિમ્બેદાર નગરીય ચકાચૌંધ

યदિ જનસંખ્યા કી માત્રા યા પલાયન કી પ્રવૃત્તિ કો દેખે તો ગાંધોં સે શહરોં કી ઓર હોને વાલા પલાયન સબસે બડા પલાયન હૈ જિસમે ન સિર્ફ પુરુષોં કા યોગદાન હોતા હૈ વરન્ આજ મહિલાઓં મેં ભી યહ પ્રવૃત્તિ દેખને કો મિલ રહી હૈ। ઇસ પલાયન કા યદિ દ્વિપક્ષીય આંકલન કિયા જાએ તો ઇસમે જહાં ગ્રામીણ કારણોં સે વ્યક્તિ ન કેવલ ગાંં સે બાહર નિકલના ચાહતા હૈ વહીં શહરોં કી ચકાચૌંધ ને આકર્ષિત કરને મેં કોઈ કસર નહીં છોડી। જહાં ગાંં મેં વિદ્યમાન ગરીબી, બેરોજગારી, કમ મજદૂરી, મૌસમીય અનિયમિતતા, જાતિ વ પરમ્પરા આધારિત સામાજિક રૂઢિયાં, અનુપયોગી હોતી ભૂમિ ઇત્યાદિ કારણોં ને ન સિર્ફ લોગોં કો બાહર ભેજને કી પ્રેરણ દી વહીં શહરોં ને અપની ચકાચૌંધ સુવિધાએં, યુવાઓં કે સપને, રોજગાર, અવસર, આર્થિક વિવિધતા, નિશ્ચિત ઔર લગાતાર અવસર ને આકર્ષિત કરને મેં કોઈ કસર નહીં છોડી। ઇસ પ્રકાર પુરુષ ઔર મહિલાઓં કે એક બડે તબકે ને ગાંં સે પલાયન કી દિશા પકડી।

યદિ આંકડોં પર નજર ડાલે તો યહ પરિલક્ષિત હોતા હૈ કી 1991 સે 2001 કે દૌરાન ભારત મેં કુલ ગ્રામીણ જનસંખ્યા મેં 18.12 પ્રતિશત કી વૃદ્ધિ હુઈ। નગરીય જનસંખ્યા મેં 31.13 પ્રતિશત કી વૃદ્ધિ દેખી ગઈ અર્થાત માત્ર 10 વર્ષોં મેં નગરોં કી જનસંખ્યા મેં લગભગ એક તિહાઈ વૃદ્ધિ હુઈ જિસકે પીછે પલાયન હુઈ જનસંખ્યા કા પ્રમુખ યોગદાન હૈ। ઇસી પ્રકાર યદિ દિલ્લી સરકાર કા આર્થિક સર્વેક્ષણ રિપોર્ટ 2003–04 મેં જનસંખ્યા વૃદ્ધિ દેખી જાએ તો યહાં પ્રતિવર્ષ 4 લાખ જનસંખ્યા બઢતી હૈ જિસમે 2.75 લાખ માત્ર પલાયન સે આઈ હુઈ જનસંખ્યા હોતી હૈ જો ઇસકે પડોસી રાજ્યોં સે આતી હૈ।

યદિ આજ નગરોં મેં હોને વાલી વિભિન્ન સમસ્યાઓં કા આંકલન કરેં તો ઇસકા એક બડા કારણ ગ્રામીણ ક્ષેત્ર સે પ્રવાસિત જનસંખ્યા હૈ જો ન સિર્ફ નગરોં કે અવસરચના ઔર અવસરોં પર અપના હક જમા લેતી હૈ વરન્ કઈ સામાજિક, આર્થિક, પ્રશાસનિક જટિલતાઓં કો ભી પૈદા કરતી હૈ। ઇસી પલાયનવાદી પ્રક્રિયા કે પારિણામરૂપ નગરોં મેં કઈ અરાજકતાઓં કા લગાતાર વિસ્તાર હો રહા હૈ જિસમે સામાજિક અપરાધ, પ્રદૂષણ, યાતાયાત કી સમસ્યા, અવસરચનાઓં પર બોઝ, અનિયમિત જલવિદ્યુત કી આપૂર્તિ, મલીન બસ્તિયોં કા વિકાસ, અવૈધ ધંધે, દેહ વ્યાપાર વિલાસિતા કા અધકચરા શૌક વ તમામ અન્ય પ્રકાર કી સમસ્યાઓં કા વિકાસ વ વિસ્તાર દેખને કો મિલ રહા હૈ। યહી નહીં પલાયન સે યહ સમસ્યાએં નગરોં મેં હી નહીં ગાંધોં મેં ભી અન્ય સ્વરૂપોં મેં વિકસિત હો રહી હૈનું જિસમે સામાજિક સૌહાર્દ, તસ્કરી કા સામાન ગાંધોં કે બાજારોં મેં ફૈલના, ગાંધોં મેં યુવકોં કે બીચ ધૂમ્રપાન કા શૌક તથા કુછ સામાજિક પરમ્પરાઓં કા વિઘટન હોને જૈસી સમસ્યા દેખી જા સકતી હૈ।

પલાયન રોકને કે કુછ ઉપાય

યદ્યપિ પલાયન કે પીછે લોગોં કી જ્યાદાતર આકાંક્ષાઓં કી પૂર્તિ કરને કા ઉદ્દેશ્ય હોતા હૈ। યદિ ઉન આકાંક્ષાઓં ઔર અવસરોં કે ઉનકે નિવાસ સ્થળ અથવા ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં મેં હી ઉપલબ્ધ કરાયા જાએ તો ન સિર્ફ પલાયન પર અકુંશ લગેગા સાથ કી ગાંં ઔર શહરોં કી દૂરી ભી ઘટેગી। ઇસકે લિએ કુછ ઉપાય સુઝાએ જા સકતે હૈનું—

- સર્વપ્રથમ ગાંં મેં રોજગાર કે અવસર નિરન્તરતા કે સાથ ઉપલબ્ધ કરાએ જાએ જિસસે લોગોં કો આર્થિક સુરક્ષા તો મિલેગી હી સાથ હી વે સ્વત: અપની જીવનશૈલી મેં સુધાર કરેંગે;
- મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગારંટી અધિનિયમ મેં ગ્રામીણ પ્રશાસન તથા પંચાયતોં કો વિત્તીય સુવિધા કે લિએ જ્યાદા અધિકાર દિએ જાએ જિસસે મજદૂરી કા ભૂગતાન જ્યાદા વ્યાવહારિક હો;
- ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં મેં હી શહરોં કી સુવિધાએં ઉપલબ્ધ કરાઈ જાએ; જિસમે યાતાયાત સાધન, સડક, ચિકિત્સાલય, શિક્ષણ સંસ્થાએં, વિદ્યુત આપૂર્તિ, પેયજલ સુવિધા કા વિકાસ કિયા જાએ;
- પરમ્પરાગત કૃષિ કે સ્થળ પર પૂંજી આધારિત વ અધિક આય પ્રદાન કરને વાલી ખેતી કો પ્રોત્સાહન દિયા જાએ જિસમે કિસાનોં કે સાથ-સાથ સીમાન્ત કિસાનોં ઔર મજદૂરોં કો ભી જ્યાદા સે જ્યાદા ફાયદા હો સકે;
- સિંચાઈ સુવિધા, જલ પ્રબંધન ઇત્યાદિ કે માધ્યમ સે કૃષિ ભૂમિ ક્ષેત્ર કા વિસ્તાર કિયા જાએ જિસસે ન કેવલ ઉત્પાદન મેં વૃદ્ધિ હોગી સાથ હી આય મેં વૃદ્ધિ હોગી ઔર કિસાનોં મેં આત્મવિશ્વાસ કી વૃદ્ધિ હોગી;
- રોજગાર કે વૈકલ્પિક સાધન યથા બુનાઈ, હથકરધા, કુટીર ઉદ્યોગ, સાથ કી ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ કેન્દ્ર કે સ્થાપના કી જાએ;
- સ્વયંસહાયતા સમૂહ, સામૂહિક રોજગાર પ્રશિક્ષણ, મજદૂરોં કો શીઘ્ર મજદૂરી તથા ઉનકે બચ્ચોં કો બેહતર સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ તથા અન્ય મનોરંજન કી સુવિધાએં ઉપલબ્ધ કરાઈ જાએ;
- પરમ્પરાગત ખેતી કે સ્થળ પર અનુંબંધ ખેતી, ફલોત્પાદન, સબ્જી ઉત્પાદન, તથા સધન કૃષિ કો વિકાસ એવં વિસ્તાર,
- મજદૂરોં તથા અન્ય બેરોજગાર યુવકોં કે લિએ સ્વરોજગાર હેતુ વિત્તીય સહાયતા એવં પ્રશિક્ષણ કી સુવિધા તથા પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર ગાંધોં મેં ખોલા જાએ;
- સભી રાજ્યોં મેં મુખ્યત: ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં મેં સાર્વજનિક વિતરણ પ્રણાલી કો ઔર સુગાઠિત તથા પારદર્શી બનાયા જાએ જિસસે લોગોં કો ઉચિત દામોં મેં ખાદ્ય સુરક્ષા વ અનાજ ઉપલબ્ધ હો સકે।

(લેખક યૂજીસી નેટ-જે.આર.એફ. તથા ભૂગોલ વિભાગ, ઇલાહાબાદ વિશ્વવિદ્યાલય મેં શોધ છાત્ર હૈનું)

ઈ-મેલ : harishkesharwani088@gmail.com



सरकारी

आन्य चिकित्सकोंय समरयाओं के साथ पालू रपतरणाफ हो सकता है नाहानीफी निर्देष अरपताल में जाएं और तुरंत उचाइना पालू (स्पाइन पालू) की जांच करवाएं।

लिजन व्यवित्रियों में निम्नलिखित विश्यितियों का पता चला है उनको एच1एन1 (हायाइन पलू) के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए वस्योकि वे संक्रमण के लिए अति संवेदनशील हैं।

- पुरानी सांस की बीमारियां जैसे ब्रॉन्कियल अस्थमा, पुराना श्वसनी शोथ, क्रान्तिक-आब्सट्रिक्टिव एयरवे डिसीजेज एवं ब्रोन्काइटिस
- हृदय रोग
- पुरानी गुर्दे की बीमारियाँ
- उच्च रक्त चाप
- मधुमेह
- प्रतिक्षा की कमी (एचआईवी) के साथ मरीज
- गर्भवती महिला

बच्चे एवं जो 60 वर्ष से अधिक के हैं, उनको भी एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। पलू जैसे लक्षणों जैसे बुखार, बदन दर्द, नाक बहना, कफ एवं गला-शोथ, सांस लेने में कठिनाई के प्रारंभिक चरणों में नजदीकी निर्दिष्ट अस्पताल या इसके ओपीडी जांच केन्द्र में चिकित्सा सहायता लेने से आगे की जटिलताओं को रोका जा सकता है।

अपने पड़ोस में समान लक्षणों वाले लोगों (3 या 4 से अधिक) के प्रति सावधान रहें और टोल फ्री नंबर 1075 या 1800-11-4377 पर सूचित करें। अधिक स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय हेल्प लाइन नं. 011-23921401 से समर्क करें। अधिक जानकारी के लिए <http://www.mohfw-h1n1.nic.in> देखें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी



कपास आधारित उद्यमिता पलायन

एक अध्ययन

पवन कुमार जायसवाल
व डॉ. आशा साख्री गुप्ता

पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में अत्यधिक टैक्स एवं अव्यावहारिक उद्योग होने की कगार पर हैं। पिछले 10 वर्षों में लई का उत्पादन गुजरात में 300 एवं महाराष्ट्र में 250 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि म.प्र. में 23 प्रतिशत गिरावट आ गई। इसमें प्रदेश शासन को प्रतिवर्ष करोड़ों का बुकसान हो रहा है। सरकार की उपेक्षापूर्ण एवं दोषपूर्ण नीति के चलते यहां की 80 जिनिंग फैक्टरियां बद्द हो चुकी हैं। इस उद्योग के चौपट हो जाने से निमाइ की 250 जिनिंग फैक्टरियों में से लगभग 125 फैक्टरियां महाराष्ट्र की ओर पलायन कर चुकी हैं। इससे बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हुए हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग जहां भारत का सबसे पुराना एवं वृहद् उद्योग है वही विश्व में इसका दूसरा स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है जिसके अन्तर्गत भारत में लगभग 4100 जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग हैं जोकि अपने क्रियान्वयन के लिये पूरी तरह से कपास पर निर्भर हैं। इस प्रकार देश की लगभग 60 मिलियन आबादी कपास या कपास उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ी है जिनमें से अधिकांशतः महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में केंद्रित हैं। कपास उद्योग की न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में वरन् प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कपास उद्योग ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। जिनिंग, प्रेसिंग व





ઓંયલ મિલોને ખુલને સે એક ઓર ગ્રામીણોનો કો રોજગાર મિલા હૈ વહીં સરકાર કી ઉપેક્ષિત નીતિ ને ઇસ ઉદ્યોગ કો હતોત્સાહિત કિયા હૈ।

પૂરે મધ્યપ્રદેશ મેં 20–21 લાખ ગાંઠ પ્રતિ વર્ષ બનતી હૈને જિસમે નિમાડી ક્ષેત્ર કુલ પ્રદેશ કી રૂઝ ઉત્પાદન મેં 65 પ્રતિશત કી ભાગીદારી કરતા હૈ તથા મધ્યપ્રદેશ સરકાર કે ઉદ્યોગ વિભાગ કે અનુસાર 1997–98 મેં બડ્વાની જિલે મેં કપાસ કી પૈદાવાર 25 લાખ કિંચટલ થી તથા 1998–99 મેં 28 લાખ; વહીં 1999–2000 મેં ફરવરી તક 19 લાખ કિંચટલ કપાસ પૈદા હુર્ઝ જોકિ એક ઐતિહાસિક ગિરાવટ થી।

બડ્વાની જિલે કી અર્થવ્યવસ્થા મુખ્યત: કૃષિ પર નિર્ભર હૈ। જિલે કી લગભગ 76 પ્રતિશત જનસંખ્યા કૃષિ તથા કૃષિત્તર કાર્યો મેં લગી હુર્ઝ હૈ। જિલે કી સભી સાતોને તહસીલોને મેં બડી સંખ્યા મેં જનજાતીય પરિવાર કે લોગ નિવાસ કરતે હૈને। ઇનમેં ભીલ, ભીલાલે, બારેલા તથા બંજારા જાતિ કે લોગ હૈને। ઇનકે પાસ જો કૃષિ ભૂમિ હૈ વહ દોયમ દર્જે કી વ અલાભપ્રદ હૈ। ગૈર–જનજાતીય લોગ પાટીદાર, યાદવ, ગુર્જર વ સિર્વી હૈને। ઇનકે પાસ ઉન્નત કિસ્મ કી કૃષિ ભૂમિ હૈ। યહાં કે અગ્રવાલ, જैન, ગુપ્તા, મહાજન, પાલીવાલ તથા સિંધી પરિવારોની આમદની કા પ્રમુખ સ્નોત વ્યાપાર હૈ।

યહાં કી કૃષિ કો માનસૂન કા જુઆ કહા જાતા હૈ। જિલે કી ખરીફ કી ફસલોને મુખ્ય રૂપ સે કપાસ, જવાર, મૂંગફળી વ દાલોની કી પૈદાવાર હોતી હૈ। રબી કી મુખ્ય ફસલોને ગેહૂં તથા ચના હૈને। કપાસ બડ્વાની જિલે કી સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ ફસલ હૈ જિસકી ખેતી યહાં કી 26.12 પ્રતિશત કૃષિ ભૂમિ પર કી જાતી હૈ। માત્રા કી દૃષ્ટિ સે મધ્યપ્રદેશ મેં કપાસ કા સર્વાધિક ઉત્પાદન કરને વાલા યહ જિલા દેશ ભર મેં વિરખ્યાત હૈ। કપાસ કે ઉત્પાદન કે સંબંધ મેં રાજ્ય મેં જિલે કા લમ્બે સમય સે એકાધિકાર બનો હુઆ હૈ।

રાજ્ય	રૂઝ ઉત્પાદન				
	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
રૂઝ (લાખ ગરન મે)					
મ.પ્ર.	19.04	20.11	21.97	18.48	14.19
મહારાષ્ટ્ર	36.06	57.88	73.25	68.22	71.92
ગુજરાત	92.09	102.56	112	92	98

કપાસ બડ્વાની જિલે કા પ્રમુખ એવં પરમ્પરાગત લઘુ ઉદ્યોગ હૈ। યહ ઉદ્યોગ સ્વતંત્રતા કે પૂર્વ સે જિલે કા ગૌરવ બના હુઆ હૈ। જિલે મેં લઘુ ઉદ્યોગોની શુરૂઆત જિનિંગ ફેકટરિઝ સે હુર્ઝ હૈ। બાદ મેં કપાસ કી ઔર ભી અધિક પૈદાવાર હોને સે ઇસ ઉદ્યોગ કી અધિક સે અધિક ઇકાઇયાં લગાઈ જાને લગી। સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ કે પશ્ચાત સૂતી વસ્ત્ર કી નિરન્તર બઢ્યી માંગ કે કારણ જિલે મેં ભી ઇસ ઉદ્યોગ કા લગાતાર વિસ્તાર હોતા ચલા ગયા। સ્વતંત્રતા પૂર્વ કપાસ ઉદ્યોગ બડ્વાની નગર એવં ઇસ રિયાસત કે નિકટસ્થ ગ્રામોની વિશેષકર અંજડ એવં તલવાડા મેં હી અધિક કેન્દ્રિત થા લેકિન સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ પશ્ચાત અન્ય સ્થાનોને જૈસે સેંધવા, ખેતિયા, પાનસેમલ, આદિ સ્થાનોને પર ભી ઇસકી ઇકાઇયાં સ્થાપિત કી જાને લગી। વર્તમાન મેં જિલે કી સર્વાધિક જિનિંગ–પ્રેસિંગ ઇકાઇયાં (કારખાને) સેંધવા મેં હૈને।

સ્વતંત્રતા સે પહલે જિલે મેં જિનિંગ–પ્રેસિંગ ઉદ્યોગ કી ભાંતિ તેલ ઉદ્યોગ ભી કાફી વિકસિત અવસ્થા મેં થા। કપાસ કે





સાથ—સાથ તિલહનોં કે બઢતે ઉત્પાદન કે પ્રતિ કૃષકોં કા આકર્ષણ બઢતા ગયા। દૂસરી ઓર કપાસ કી વિપુલ એવં બઢતી પૈદાવાર કે કારણ જિનિંગ ઉદ્યોગ કો ભી પ્રોત્સાહન મિલા, જિસસે કપાસ્યા (કાકડા) કા ઉત્પાદન નિરન્તર બઢને લગા। ફલસ્વરૂપ કપાસ્યા (કાકડા) સે તેલ નિકાલને વાલી મિલેં ભી અધિક સંખ્યા મેં સ્થાપિત હોને લગી।

વર્તમાન મેં જિલે મેં સ્થાપિત સર્વાધિક ઉદ્યોગ સેંધવા નગર મેં સ્થાપિત હૈનું। ઇસકે પશ્ચાતું ક્રમશા: અંજડા, બડવાની, પાનસેમલ, ખેતિયા, રાજપુર, ઓઝિઝ આદિ નગરોં કા સ્થાન હૈ। બડવાની જિલે મેં બડવાની મેં 12, અંજડા મેં 7, પાનસેમલ મેં 13, ખેતિયા મેં 10 તથા સેંધવા મેં 135 કપાસ ઉદ્યોગ કી ઇકાઇયાં કાર્યરત થી। જિલે કે સેંધવા નગર કે કપાસ ઉત્પાદન કા મહત્વ સમ્પૂર્ણ એશિયા મેં માના જાતા થા પરન્તુ યહ ભૂતકાલ કી બાત હો ગઈ હૈ। સરકાર કી ઉપેક્ષાપૂર્ણ એવં દોષપૂર્ણ નીતિ કે ચલતે યાં કી 80 જિનિંગ ફેંકટરિયાં બન્દ હો ચુકી હૈનું। ઇસ ઉદ્યોગ કે ચૌપટ હો જાને સે નિમાડ કી 250 જિનિંગ ફેંકટરિયાં મેં સે લગભગ 125 ફેંકટરિયાં મહારાષ્ટ્ર કી ઓર પલાયન કર ચુકી હૈનું। ઇસસે બડી સંખ્યા મેં મજદૂર બેરોજગાર હુએ હૈનું।

પડોસી રાજ્યોં કે તુલના મેં મધ્યપ્રદેશ મેં અત્યાધિક ટૈક્સ એવં અવ્યાવહારિક ઉદ્યોગ નીતિ કે કારણ કપાસ એવં રૂઝ ઉદ્યોગ ચૌપટ હોને કી કગાર પર હૈ। પિછલે 10 વર્ષોં મેં રૂઝ કા ઉત્પાદન ગુજરાત મેં 300 એવં મહારાષ્ટ્ર મેં 250 પ્રતિશત બઢા હૈ, જબકિ મ.પ્ર.

મેં 23 પ્રતિશત ગિરાવટ આ ગઈ। ઇસમેં પ્રદેશ શાસન કો પ્રતિવર્ષ કરોડોં કા નુકસાન હો રહા હૈ।

ટૈક્સ	ટૈક્સ મેં અંતર			
	મધ્યપ્રદેશ	ગુજરાત	મહારાષ્ટ્ર	ટૈક્સ મેં અંતર-
મંડી શુલ્ક	2	0.50	0.50	ગુજરાત એવં મહારાષ્ટ્ર કી તુલના મેં મ.પ્ર. 2.70 રૂપયે
નિરાશ્રિત શુલ્ક	0.20	નિરંક	નિરંક	
પ્રવેશ કર	1	નિરંક	નિરંક	
વેટ	4	4	4	
યોગ	7.20	4.50	4.50	

આજાદી કે 63 વર્ષોં બાદ ભી બડવાની જિલે મેં બેરોજગારોં કે લિએ કોઈ સરકારી ઉપક્રમ સ્થાપિત નહીં કિયા ગયા હૈ। યહાં કે સ્થાનીય છોટે-બડે ઉદ્યમિયોં કે શ્રમ વ ધન સે કપાસ ઉદ્યોગ કો રાષ્ટ્રીય વ અન્તરરાષ્ટ્રીય સ્તર કી પહૂચાન મિલી થી। મધ્યપ્રદેશ શાસન કી ઉપેક્ષાપૂર્ણ નીતિ કે કારણ ઇસ ઉદ્યોગ કો ઇસ ક્ષેત્ર મેં ભારી ક્ષતિ હુઝી। લગભગ એક હજાર કરોડ કે ઇસ વ્યવસાય ને મહારાષ્ટ્ર વ ગુજરાત કી ઓર રૂખ કર લિયા હૈ। યાં કી અર્થવ્યવસ્થા પર ઇસ ક્ષેત્ર સે ઉદ્યમિતા પલાયન કે પ્રભાવ કો સ્પષ્ટતઃ દેખા જા સકતા હૈ।

ઉદ્યોગોં કે પ્રત્યક્ષ સમ્બન્ધ રોજગાર સે હોતા હૈ ઇસલિએ સરકાર કી નીતિ યાં હોતી હૈ કે દેશ કે હર ક્ષેત્ર મેં ઔદ્યોગિક વિકાસ હો। બડવાની જિલે મેં કપાસ આધારિત ઉદ્યોગોં કી સ્થાપના હુઝી લેકિન દીર્ઘ અવધિ તક ઇન ઉદ્યોગોં કી ઇકાઇયાં સંચાલિત નહીં હો સકી।

ઇસ ઉદ્યોગ સે બડવાની જિલે મેં એક લાખ સે અધિક શ્રમિકોં કે રોજગાર ઉપલબ્ધ થા। ઉદ્યમિતા કે પલાયન કા સર્વાધિક પ્રભાવ સેંધવા વ અંજડા નગર પર પડ્યા હૈ, સેંધવા સે હી લગભગ 50 હજાર શ્રમિકોં કે રોજગાર છિન ગયા હૈ।

ઇસ ઉદ્યોગ સે શ્રમિક, અકાઉન્ટેટ, દલાલ, આડતિયા, તુલાવટી, હમ્માલ, ફીટર, બાયલરમૈન, તેલવાલા, આદિ પદોં પર રોજગાર પ્રાપ્ત વ્યક્તિ પ્રભાવિત હુએ હૈનું। ઇનમેં લગભગ 80 પ્રતિશત વ્યક્તિ અનુસૂચિત જાતિ વ જનજાતિ પરિવારોં કે હૈનું। ઇસ ઉદ્યોગ સે ઇંજીનિયરિંગ વ્યવસાય, સ્થાનીય નિકાયોં કી આય, કિસાનોં પર, ટ્રાંસપોર્ટ વ્યવસાય, કન્સ્ટ્રક્શન વ્યવસાય,





सरकारी राजस्व में कमी, पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय, होटल व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय, इलैक्ट्रानिक्स, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी, अनाज, किराना, कास्मेटिक्स, चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पान-दुकान, हेयर सेलून, फल-सब्जी की दुकान, ड्राइवर, टायर एवं ऑटो पार्ट्स, साबुन उद्योग आदि जैसे अनेकानेक व्यवसाय एवं उद्योग प्रभावित हुए हैं जिससे कई लोगों के रोजगार छिन गये। जिस समय कपास उद्योग अपने चर्मात्कर्ष पर था तब ये सभी व्यवसाय लाभान्वित कर मिलने वाले रोजगार से अनेक लोगों की जीविकोपार्जन का साधन थे लेकिन यहां के कपास आधारित

उद्यमिता पलायन से यहां के मजदूर दो जून की रोटी को मजबूर हैं।

यह लाचार राजनैतिक व सरकारी नीति का परिणाम है कि आज बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के मानचित्र में अपना वजूद बचाने की कोशिश में लगा है। यदि आज भी सरकारी नीतियों में अर्थात् करों में परिवर्तन न किया गया तो बचा व्यवसाय भी दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाएगा। इसके साथ बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत संरचना में वृद्धि न की गई तो कपास पर आधारित



सहायक उद्योगों जैसे सूत उद्योग, टेक्सटाईल उद्योग को भी विकसित करना संभव नहीं है। इसलिये सरकार को चाहिए सम्पूर्ण बड़वानी जिले में उन्नत कृषि उपकरण, उन्नत तकनीकी की सुविधा प्रदान करने के साथ कपास के समर्थन मूल्य को भी न्यायसंगत तरीके से रखा जाए तो ही जाकर जिले में कपास उद्योग की नीति उपयोगी होगी और पलायन पर रोक लग सकेगी तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकेगी।

(लेखक व लेखिका सहायक प्राध्यापक व प्राध्यापक अर्थशास्त्र हैं।)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

पिन

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, तला-7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110 066

We made an effort to discover the root cause of corrupt & depraved bureaucracy by conducting a survey at a large scale. It was found that while studying, whatever the students get from the society or the nation, they return the same thing back to the society and the nation after becoming a bureaucrat.

We can't deny the fact that the students get robbed of in lakhs by the coaching institutions, the house-owners etc. and they get exploited at almost every stage. This very exploitation by the society is the main reason for it to get exploited in turn.

Keeping this in mind, we've taken a vow to provide quality education ABSOLUTELY FREE to the students.

We want to ensure that education doesn't end up becoming a synonym for business, rather it stands for its quality of being objective and purposeful. We do believe that every student is poor and if society & the nation offer some help in their preparation for civil services, they after being selected will surely be committed, duty-bound and responsible towards the society & the nation.

SELECTION PROCEDURE:

2000(1000 hindi medium & 1000 english medium each)students will be chosen from all over the country with the help of a test. After that, they'll have to go through an interview from which we'll select 1000 students(500+500) making a batch of 300 students for regular course in which each student will be provided ABSOLUTELY FREE education as well as SCHOLARSHIP of Rs. 2000/- and the rest 700 students will be awarded scholarship and will be provided correspondence course.



SEPARATE
BATCH
FOR
HINDI
MEDIUM

F.A.C.E.

Forum for Academic Cognizance & Endeavour



FREE
**IAS
COACHING**
and
SCHOLARSHIP

Absolutely free education,
study material and guidance

Scholarship is
given to all the selected students

Faculty of the highest repute and
experience for the most effective coaching

Unique MSW method of teaching

Based on new C-SAT syllabus

AN INITIATIVE OF VATSA FOUNDATION
For more info visit www.vatsafoundation.com
E-mail: info@vatsafoundation.com
Phone # 011 6502 7228, 3231 8585
+91 91364 58577
Address: 110, A-31-34, Jaina Ext., Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.

forms can be
downloaded from
www.vatsafoundation.com

गांवों से पलायन कारण और निवारण

सुभाष सेतिया

ग्रामीण
और शहरी

आबादी में बदलाव पिछली सदी के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था किंतु आजादी के बाद इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन देखने में आया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पलायन की मौजूदा गति जारी रही तो अगले 25–30 वर्षों में शहरों और गांवों की आबादी बराबर–बराबर हो सकती है। भारत जैसे कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति हानिकर और भयावह है। यों तो पूरी दुनिया में शहरीकरण के विस्तार की प्रवृत्ति को देखते हुए गांवों से शहरों की ओर पलायन को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है किंतु इसकी रफ्तार को कम करना शहरों और गांवों दोनों की भलाई के लिए आवश्यक है।

Mहात्मा गांधी कहा करते थे कि असली भारत गांवों में बसता है। गांधी जी के समय सचमुच भारत की अधिकतर आबादी गांवों में रहती थी। पिछली सदी के आरंभ में यानी 1901 में हुई जनगणना के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में और

केवल 10 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रह रही थी किंतु 50 वर्ष बाद 1951 में हुई जनगणना में इस आंकड़े में काफी परिवर्तन आ गया। उस समय ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात 83 और 17 था। आजादी के उपरांत 1951 में हुई पहली जनगणना में






दर्ज 83 प्रतिशत ग्रामीण आबादी 2001 की जनगणना तक घटकर 74 प्रतिशत तक आ गई और इस समय यह 70 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

जनसंख्या के स्वरूप में इस नकारात्मक बदलाव को रोकने के उपायों पर विचार करने से पहले इस प्रवृत्ति के मोटे-मोटे कारणों की पड़ताल करना समीचीन होगा। इसका सबसे बड़ा और विश्वव्यापी कारण है औद्योगीकरण पर आधारित विकास का पश्चिमी मॉडल। सच तो यह है कि औद्योगीकरण शहरीकरण की पहली सीढ़ी है। आजादी के बाद भारत ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इरादे से छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना का अभियान चलाया जिसका सहज परिणाम शहरीकरण के विस्तार के रूप में सामने आया। हालांकि कृषि के विकास पर भी बराबर ज़ोर दिया जाता रहा है लेकिन परिवार बढ़ने पर सभी लोगों का पेट पाल सकने में कृषि क्षेत्र असमर्थ होता गया और गांवों में रोज़गार के अवसर निरंतर घटते गए। कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने तथा आबादी बढ़ने के कारण अधिसंरचना विशेषकर मेहनत-मजदूरी करने वालों के लिए रोजी-रोटी की तलाश में शहरों, कस्बों में जाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार

गांवों में रोज़गार की अपर्याप्तता शहरों की ओर पलायन के प्रमुख कारणों में से एक है। शिक्षा का विस्तार होने से गांवों के शिक्षित युवकों के लिए देहात में कामकाज के कोई अवसर नहीं थे, इसलिए वे सहज ही शहरों की ओर मुख्य करने लगे।

पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि शहरों को गांवों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। उनके इस कथन के पीछे यह कटु तथ्य छिपा है कि गांवों में शहरों की तुलना में 5 प्रतिशत बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। रोज़गार और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की कमी के अलावा गांवों में बिजली, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा, सड़क, संचार जैसी अनेक सुविधाएं या तो होती ही नहीं और यदि होती हैं तो बहुत कम। स्कूलों और प्राथमिक चिकित्सालयों की हालत खराब होती है। गांवों में बिजली पहुंचाने के अनेक प्रयासों के बावजूद नियमित रूप से बिजली उपलब्ध नहीं रहती। सड़कों का अभाव है और जो सड़कें बनाई जाती हैं उनका ठीक से रखरखाव नहीं हो पाता।

इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी भेदभावपूर्ण है कि शोषण और उत्पीड़न से तंग





आकर बहुत से लोग गांव छोड़ देते हैं। ग्रामीण जीवन में शिक्षा और चेतना की कमी के चलते सदियों से चले आ रहे सामाजिक ढर्ड को बदलने या तोड़ने का साहस कोई नहीं कर पाता और उत्पीड़ित लोग वहां से पलायन करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ज़मीन पर अधिकांशतः ऊँची जातियों के लोगों का कब्ज़ा है और उपेक्षित वर्ग के लोगों के पास चाकरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं होता और उन्हें अन्याय और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। शिक्षित और योग्य हो जाने पर भी कमज़ोर तबके के बच्चों को जातिभेद के कारण आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जिससे वे शहरों में जाना लाभप्रद मानते हैं। परंपरागत जाति व्यवस्था का शिकंजा इतना मज़बूत है कि शासन और प्रशासन भी सामूहिक अन्याय का मुकाबला करने वालों के प्रति उदासीन बना रहता है। पिछले दिनों उत्तर भारत के कुछ राज्यों में खाप पंचायतों के अन्यायपूर्ण और क्रूर आदेशों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से गांवों में सामाजिक वातावरण हर तरह से दमघोंटू रहता है जिसमें सड़ते और दबते रहने की बजाय लोग गांव को अलविदा कहने में समझदारी मानते हैं।

ऐसा नहीं है कि इन कारणों और परिस्थितियों को दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं हुए हैं। असल में आज़ादी से पहले ही गांवों में दशा सुधारने की ओर हमारे नेता ध्यान देने

लगे थे। गांधीजी ने ग्राम स्वराज का नारा देते हुए स्पष्ट कहा था कि गांवों की तरकी के बिना देश का विकास असंभव है। खादी और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि गांवों में ही लोगों को रोज़गार मिले और उन्हें गांवों के खुले और स्वस्थ वातावरण को छोड़कर शहरों की तंग बस्तियों, बदबूदार गलियों और छोटे-छोटे मकानों या झोपड़ियों में अपनी ज़िंदगी न गुजारनी पड़े। आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोज़गार के अवसर जुटाने पर ध्यान दिया जाता रहा है। संविधान संशोधन के ज़रिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मज़बूत तथा अधिकारसम्पन्न बनाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका काफी बढ़ गई है। पंचायतों में महिलाओं व उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होने लगी है। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी सक्रिय हुए हैं जो वंचित लोगों में अधिकारों के प्रति चेतना जगाने के अलावा सिंचाई, शिक्षा, रोज़गार, पेयजल, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण आदि की दिशा में प्रभावी कार्यक्रम चला रहे हैं।



गांवों की दशा और दिशा सुधारने के इन संस्थागत प्रयासों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ऐसे अनेक बड़े कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके भविष्य में दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं। इनमें सबसे क्रांतिकारी उपाय है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गरण्टी योजना (मनरेगा)। फरवरी 2006 में लागू हुआ यह कार्यक्रम शुरू में देश के 200 जिलों में लागू किया गया था, किंतु अप्रैल 2008 से यह समूचे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। यों तो सरकार की ओर से रोजगार के अवसर जुटाने की अनेक योजनाएं पहले भी लागू की गई हैं लेकिन रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाली यह योजना भारत ही नहीं समूचे विश्व की अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। इसमें रोजगार से रहित सभी परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का काम पाने की कानूनी गारंटी दी गई है। इससे देश भर में ग्रामीण इलाकों का कायापलट होने लगा है और ग्रामीण पलायन पर सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। अब तक 9 करोड़ से भी अधिक परिवारों ने डाकघरों व बैंकों में खाते खोले हैं क्योंकि काम के बदले मिलने वाला वेतन बचत खातों में ही जमा होता है। यह व्यवस्था योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। इसके बावजूद कई राज्यों से योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने की खबरें आती रहती हैं। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सरकार ने मई 2009 में लोकपाल की नियुक्ति की। इस योजना के व्यापक प्रभाव का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2009–10 में लगभग 2 करोड़ 25 लाख परिवारों को रोजगार मिला। रोजगार पाने वाले लोगों में 49 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसी तरह मनरेगा के तहत दिया गया औसत वेतन 2006–07 में ₹ 65 से बढ़कर 2009–10 में ₹ 91 हो गया है।

रोजगार के इस विशाल कार्यक्रम के अलावा यूपीए सरकार ने ग्रामीण जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम चलाया है जिसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं जुटाने की कई योजनाएं चलाई गई हैं। सड़कों और संचार तंत्र की किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत निर्माण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण टेलीफोनी योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2012 तक पहाड़ी तथा जनजातीय इलाकों में 500 या उससे अधिक तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में गांवों को मंडियों से जोड़ने वाली सड़कें बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने में सुविधा हो। मार्च 2010 तक 36,000 से अधिक गांवों

के लिए एक लाख लंबी सड़कें बनाई जा चुकी थीं। इस योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण के साथ—साथ मौजूदा सड़कों के सुधार व विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण टेलीफोनी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में फोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना के पहले चरण में लगभग 67,000 गांवों में विलेज पब्लिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराए गए। ग्रामीण टेलीफोनी के दूसरे चरण में 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।


गांवों में बिजली की आपूर्ति भी भारत निर्माण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के प्रयासों से वर्षों से गांवों में बिजली पहुंचाने के प्रयास चल रहे हैं। किंतु भारत निर्माण के अंतर्गत मार्च 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम की विशेष योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को बिजली की सुविधा देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 11वीं योजना में 2 करोड़ 30 लाख नए बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य था और 31 जुलाई 2010 तक एक करोड़ 21 लाख कनेक्शन दिए जा चुके थे। इसी तरह गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को सिर छिपाने के लिए छत यानी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण आबादी को पीने का स्वच्छ जल सुलभ कराने के लिए ग्रामीण पेयजल योजनाएं चल रही हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत मार्च 2010 तक 71 लाख मकान बनाए गए तो ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के योगदान से 5 लाख 80 हजार से अधिक बसावटों तक पेयजल पहुंचाने में सफलता प्राप्त की गई। 1972–73 से चल रही इस योजना में अप्रैल 2009 में कुछ नए पहलू जोड़े गए और इसके क्रियान्वयन में पंचायतों को विशेष भूमिका दी गई। पेयजल योजना से महिलाओं को काफी राहत मिल रही है क्योंकि उन्हें पीने का पानी लाने के लिए कई मील दूर आना—जाना पड़ता है। इन सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के साथ—साथ गांवों में चिकित्सा सुविधाएं सुधारने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्थापित किया गया है। मिशन गांवों में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों ‘आयुष’ को सुलभ बनाने पर खास ध्यान दे रहा है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी संस्थाओं के सुधार व विकास के अलावा आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है जो अस्वस्थ और रोगी लोगों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों की सहायता करती हैं। जून 2010 तक देशभर में 8 लाख आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। गांवों में नए प्राथमिक केंद्र खोले जा रहे हैं। सचल चिकित्सालयों के माध्यम से भी गांवों में



लोगों के द्वार तक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं।

शिक्षा और साक्षरता का अभाव ग्रामीण जीवन का बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है जिसे दूर किए बिना गांवों की दशा सुधारने का सपना पूरा नहीं हो सकता। अप्रैल 2010 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की उम्मीद लगाई जा रही है। इस कानून में गांवों के स्कूलों की स्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैलने से जहां रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बन सकेगा। 31 मार्च 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत तीन लाख से अधिक नए स्कूल खोले गए जिनमें से आधे से अधिक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में थे। इसके अलावा स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति तथा नए भवन बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन में जैसे—जैसे प्रगति होगी, गांवों में शिक्षा की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी।

गांवों में रहन—सहन में सुधार लाने वाली इन योजनाओं का लाभ गांवों के लोग आसानी से उठा सकें, इसके लिए भारत निर्माण सामान्य सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में सभी विकास योजनाओं की जानकारी और उनके आवेदन—पत्रों के साथ—साथ टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स जैसी सुविधाएं भी सुलभ हैं। ये केन्द्र शासन, निजी उद्यमियों और ग्रामीण लाभार्थियों के बीच पुल का काम करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है जो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। यह है सूचना का अधिकार कानून। अनेक स्वयंसेवी संगठन और कार्यकर्ता इस कानून का इस्तेमाल करके ग्रामीण उत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों की सामुदायिक निगरानी कर रहे हैं। इस निगरानी को सोशन आडिट का नाम दिया गया है। इससे सरकारी कामकाज पर सामाजिक अंकुश लगा रहता है। अनेक गांवों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी इस व्यवस्था के माध्यम से अपना हक प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं।



ग्रामीण पलायन रोकने के लिए समानता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कायम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना गांवों की स्थिति में सुधार लाना। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को विशेष रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वयंसहायता समूहों के ज़रिए विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे लाभ उठाकर गरीब तथा उपेक्षित वर्गों के लोग अपना तथा अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं। इससे आर्थिक व सामाजिक असमानता कम होगी और ग्रामीण जीवन अधिक खुशहाल बन सकेगा। ये सभी उपाय आशा जगाते हैं कि देश नई अंगड़ाई ले रहा है और अब सरकार और समाज का ध्यान शहरों की बजाय गांवों की ओर यानी 'इंडिया' से 'भारत' की ओर मुड़ गया है। भारत के इतिहास में ग्रामीण जीवन में आमूल परिवर्तन लाने वाले इतने व्यापक और प्रभावी कदम एक साथ पहले कभी नहीं उठाए गए। भारत निर्माण वास्तव में ग्रामीण पुनर्निर्माण का अभियान है जो ग्रामीण भारत का कायाकल्प कर सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन उपायों के फलस्वरूप गांवों से शहरों की ओर पलायन की गति में निश्चित रूप से कमी आएगी और इससे भारत के विकास के इतिहास के एक नए अध्याय का सूत्रपात होगा।

सी-302, हिंद अपार्टमेंट्स, प्लाट नं 12, सेक्टर 5
द्वारका, नई दिल्ली-110075
ई-मेल : setia_subhash@yahoo.co.in



क्या करें

- खांसते एवं छींकते समय रूमाल या कपड़ा से अपने मुंह व नाक को ढक लें।
- अपने नाक, आंखों या मुंह को छूने से पहले तथा बाद में साबुन व पानी से बार-बार अच्छी तरह से हाथों को धोएं।
- सार्वजनिक स्थलों से दूर रहें एवं अगर आप में फ्लू का लक्षण है तो स्वास्थ्य जांच केन्द्र या चिकित्सक संपर्क करें। चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ होने तक घर पें ही रहरें।
- पूर्व चेतावनी संकेतों को देखें तथा निम्न से ग्रसित होने पर निर्दिष्ट अस्पताल में तुरंत संपर्क करें।
 - लगातार तेज बुखार
 - खांसी के दौरान खून आना
 - असामान्य व्यवहार
 - होंठ एवं त्वचा का बैंगनी या नीले रंग में परिवर्तन

क्या न करें

- सामाजिक रूप से हाथ मिलाना, आलिंगन तथा चुंबन लेना या मिलने का अन्य संस्पर्श ;
- डाक्टर से परामर्श के बिना दवाएं लेना।



स्वयं एवं अपने परिवार को एच१ एन१ फ्लू (स्पाइन फ्लू) फैलने से बचाएं

सद्गुण

- बुखार
- कफ
- गले में सूजन
- सांस लेने में कठिनाई



davp 17161/13/0014/1011


सम्पर्क :

प्रकोप निगरानी प्रकोष्ठ या कॉल करें
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण **011-23921401**

ग्रामीण पलायन रोकने में कारगर स्वयंसहायता

समूह

उपेन्द्र प्रकाश सिंह



स्वयंसहायता समूह समरूप ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित समूह होते हैं जिसमें समूह के सदस्य आपसी राय से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं उसका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करते हैं। तथा समूह के सदस्यों की उस धनराशि को उत्पादकता अथवा आपातकालीन में देने के लिए परस्पर सहमति होती है। इन स्वयंसहायता समूहों का उद्देश्य गरीबों की पहुंच ऋण तक सुनिश्चित करने के लिए कारगर व अल्पव्ययी साधन उपलब्ध कराना और साथ ही बचत व बैंकिंग की आदत डालना है। साथ ही, निधनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है।

आज भी देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा में बनी हुई है। ग्रामीणों का लगाव खेतीबाड़ी से है तथा आय के अन्य साधन इनके पास अतिसूक्ष्म हैं। खेती का कार्य साल भर में इनको तीन—चार महीने ही मिलता है। इसलिए शेष महीनों में पर्याप्त आय जुटाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीनों और गहनों को गिरवी रखना पड़ता है जिन्हें वे बाद में छुड़ा नहीं पाते।

इस प्रकार गांव की अधिकतर आबादी गरीबी की चक्की में पिसती रहती है और ऐसी अवस्था में उनके यहां बीमारी, शादी या मृत्यु जैसी समस्या आ जाती है। उन्हें स्वयं तक को बंधक रखने की नौबत से भी गुजरना पड़ता है। यद्यपि बैंक शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है लेकिन औपचारिक ऋण तक ग्रामीण निधनों की पहुंच नहीं है। चूंकि निधनों की आवश्यकताएं उपभोग एवं उत्पादन दोनों उद्देश्य से जुड़ी हैं और सामान्यतः उनकी जरूरतें छोटे ऋणों से सम्बन्धित होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए



बैंकों को कुछ कारोबार लागत व्यय करनी पड़ती है जिसके कारण बैंक उधार देने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में सामूहिक सहयोग से एक-दूसरे की सहायता करना ही स्वयंसहायता समूह का रूप धारण करता है।

स्वयंसहायता समूह की विशेषताएं

- समूह में अधिकतर 20 सदस्य होते हैं परन्तु सुविधानुसार घटाए—बढ़ाए जा सकते हैं।
- समूह पंजीकृत अथवा गैर—पंजीकृत हो सकते हैं।
- समूह द्वारा स्वयं को नियन्त्रित करने के लिए एक आचार—संहिता होनी चाहिए।
- समूह द्वारा बचत की जाने वाली धनराशि, ब्याज की राशि तथा सदस्यों को किन—किन उद्देश्यों हेतु ऋण दिया जा सकता है, उनका समूह द्वारा निर्धारण होना चाहिए।
- समूह की कार्यप्रणाली लोकतात्त्विक हो जिसमें सदस्यों को अपने विचारों का आदान—प्रदान करने तथा अपने मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो।
- समूह द्वारा साधारण प्रारम्भिक अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, मीटिंग रजिस्टर, बचत व पंजियों को रखा जा सके।
- समूह द्वारा बैंक में एक बचत खाता खोला जाना चाहिए।

समूह का संचालन कैसे हो

अन्य औपचारिक संगठनों की तरह कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयंसहायता समूह भी अपने नियम बनाता है। नियम किसी गैर—सरकारी संगठन की मदद से बनाये जा सकते हैं या फिर समूह में आपसी तालमेल द्वारा मापदण्ड निर्धारित कर लिए जाएं। और समय के साथ प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसमें सुधार किया जा सकता है। नियमों के

सम्बन्ध में समूह के सभी सदस्यों की पारस्परिक सहमति होती है। नियम सामान्यतः समूह के उद्देश्यों, बैंकों का दिन व समय, बचत की राशि व अवधि बैठक में अनुपस्थित होने का दण्ड, विलम्ब आदि से आने पर और उधार की शर्तों जैसे—कब से कर्ज देना आरम्भ किया जाए, कितना उधार दिया जाए, ब्याज दर, चुकौती तथा नेता के चुनाव तथा परिवर्तन आदि से सम्बन्धित होते हैं। स्वयंसहायता समूह में सामान्य चुने प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सामान्यतः एक निश्चित समय पर बदलते रहते हैं। समूह इन प्रतिनिधियों को यह अधिकार देता है कि वे बैंक खाते में लेन—देन करें। आरम्भ में समूह के पास चार—पांच बहीखाते होते हैं जिनकी संख्या कालान्तर में बढ़कर 10 से 11 हो जाती है। गैर—सरकारी संगठन उन समूहों को रिकार्ड, पुस्तकों रखना सिखाते हैं। अशिक्षित सदस्यों वाले समूहों में या तो गैर—सरकारी संगठन का प्रतिनिधि अथवा कोई स्थानीय व्यक्ति स्वयंसहायता समूह की ओर से देखभाल करता है।

स्वयंसहायता समूह के विकास के चरण

- सदस्यों का चयन
- संगठन के नियम—विनियम पर चर्चा
- सामूहिक बचत ऋण आदि का संगठन
- पारस्परिक सौहार्द एवं लेखा पद्धति





- समूह के लेनदेन का नियंत्रण
- आय वृद्धि कार्यक्रम का प्रारम्भ
- बैंक आदि से जुड़ाव
- नये समूहों को सहयोग
- आय वृद्धि कार्यक्रमों का विस्तार
- सामूहिक विषयों पर चर्चा
- समूह व सदस्यों के लिए सम्पत्ति का निर्माण
- उद्देश्यों को विस्तृत बनाना
- नये समूह का निर्माण (फेडरेशन) संघ का निर्माण।

स्वयंसहायता समूह के महत्वपूर्ण योगदान

- समूह का निर्माण करना।
- समूह बचत व ऋण संकलन करना।
- समूह बचत की लेखा-पद्धति रखना।
- मीटिंग विवरण रजिस्टर का रखरखाव करना।
- लेखा-जोखा अथवा बहीखाता रखना।
- हस्ताक्षर रजिस्टर रखना।

ऋण

समूह की बचत को ऋण से जोड़ना एक आवश्यक व महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। महाजनों से हटाकर गरीबों तक कम ब्याज पर ऋण उपलब्धता तथा आकस्मिक आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिए तथा बचत की राशि को चलायमान बनाये रखने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण के सम्बन्ध में दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण हैं —

- आवश्यकता होने पर ही ऋण वितरित करना चाहिए।
- जहां तक सम्भव हो, ऋण की बड़ी राशि का वितरण उत्पादन हेतु ही किया जाना चाहिए।

उपभोग हेतु ऋण

यह ऋण भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान आदि के लिए किया जाता है। ये छोटे ऋण होते हैं जो ₹ 100 से ₹ 500 तक होते हैं जो सामान्यतः दस हफ्ते के बीच चुका दिये जाते हैं। सामान्य रूप से ऋणों पर कोई सालाना ब्याज नहीं लगाया जाता है क्योंकि कम अवधि में ही इनकी चुकौती हो जाती है।

छोटे उत्पादन हेतु ऋण

इस तरह के ऋण छोटी आय अर्जन हेतु लिये जाते हैं। इस ऋण का आकार ₹ 300 से ₹ 1000 तक होता है। यह ऋण सामान्यतः 6 से 8 महीने में चुका दिये जाते हैं।

बड़े उत्पादन हेतु ऋण

यह ऋण कोई उद्योग आरम्भ करने अथवा बड़ी संख्या में जानवर खरीदने आदि के लिए लिया जाता है। इस तरह के ऋण गैर-सरकारी संगठन स्वयं नहीं देते जब तक उन्हें बैंक अथवा दाता संस्था द्वारा धन उपलब्ध न हो। इस ऋण की ब्याज दर महाजनों से कम रखी जाती है और बैंक प्रणाली से थोड़ी अधिक रखी जाती है।

चूककर्ता या डिफाल्टर

जो सदस्य ऋण की अदायगी समय से न कर रहा हो अथवा जो नियमित रूप से बचत जमा न कर रहा हो उसे हम चूककर्ता या डिफाल्टर कहेंगे। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से किस्ते



निर्धारित की गई हैं, उस हिसाब से अदायगी हो रही है या नहीं, यदि नहीं हो रही है तो चूक हो रही है। इसमें विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं—

किस्त की चूक; समयावधि की चूक; समय व किस्त दोनों की चूक।

किस्त की अदायगी

पहली श्रेणी में चूककर्ता के कारण समूह का नुकसान इस वजह से हुआ कि उस महीने उसे समूह के किसी जरूरतमन्द को कर्ज नहीं मिल पाया क्योंकि समूह में कम पैसा आया हुआ था। ऐसी स्थिति में समूह मात्र चेतावनी देकर सदस्य को अवगत करा देगा और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाएगा।

समयावधि की चूक

ऐसी चूक करने वाले चूककर्ता के ऊपर थोड़ा प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है जैसे कि पिछली कर्जराशि से अधिक कर्ज नहीं दिया जाएगा। निर्धारण का एक तरीका यह भी हो सकता है कि उसे सख्त हिदायत देकर या कोई निर्धारित दण्ड देकर मांगी हुई ऋण राशि दे दी जाए।

समय व किस्त दोनों की चूक

ऐसी चूक करने वाले व्यक्ति को कोई निर्धारित दण्ड दिया जा सकता है। या तो

उसे ऋण बचत राशि के अन्दर प्रदान किया जाए या पिछली कर्ज राशि से 50 प्रतिशत से अधिक ऋण न दिया जाए।

प्रशिक्षण देने का कार्य

बचत समूह के गठन व संचालन के कार्य में तीन सप्ताह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

सदस्यों का प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण समूह के सदस्यों को साल में एक बार दिया जाना चाहिए और बचत

समूह के निर्माण के तीन महीने के अन्दर प्रशिक्षित कर देना चाहिए। यह सभी सदस्यों को गांव के अन्दर ही दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण का विषय

बचत समितियों का उद्देश्य; संगठन का महत्व; बचत का महत्व; बचत समिति चलाने का तरीका; ब्याज की गिनती—हिसाब।

पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

साल में दो बार समूह के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण दो दिन का होना चाहिए। तथा बचत समूह बनाने के 6 महीने के भीतर होना चाहिए। इसे गांव के बाहर किसी कक्ष में दिया जाना चाहिए या गांव की स्कूल, पंचायत भवन आदि स्थान भी हो सकता है।

प्रशिक्षण का विषय

क्षेत्र की भूमिका; समूह को चलाने की विशेषताएं; ब्याज की गिनती; नेतृत्वकर्ता और सदस्यों के बीच परस्पर साझेदारी व सद्भाव; आपसी तालमेल।

कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

साल में एक बार गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं का





प्रशिक्षण होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से बचत समिति की कार्यप्रणाली, ध्येय तथा विस्तृत हिसाब से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बचत समूहों के काम पर निगरानी रखने का तरीका भी बताना चाहिए।

स्वयंसहायता समूह से आय में बढ़ोतरी

समूह के क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए तथा समूह के सदस्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्हें आय वृद्धि के कार्यक्रमों से जोड़ना अति आवश्यक है। स्वयंसहायता समूह के स्थायित्व के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अपने खर्चों के लिए तथा कुछ घरेलू उपयोग के लिए ऋण लेना सदस्यों को कुछ हद तक असंतुष्ट कर देता है। समूह के सदस्य वास्तविक रूप में अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं जिसमें इन आकस्मिक खर्चों व उपभोग के लिए ऋण लेने से बच सकें। स्वयंसहायता समूह की भूमिका आय संवर्धन में अति आवश्यक है। स्वयंसहायता समूह के निर्मित व उचित ढंग से संचालित हो जाने के बाद एक तो वह स्वयं ऋण देते हैं। दूसरे, यदि उन्हें अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होती है तो गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनेक औपचारिक संस्थाएं वांछित ऋण प्रदान करती हैं। उस ऋण से जिन उद्योगों को संचालित किया जा रहा है उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाती हैं जिसमें किसी प्रकार से उद्योग के असफल होने की आशंका नहीं रह जाती। इसके अतिरिक्त बाजार में खपत तथा कच्चा माल प्राप्त करने में स्वयंसेवी संगठन इन समूहों की मदद करते हैं। इन सारी सुविधाओं की वजह से समूह बड़ी आसानी से निर्धारित समय से अपना ऋण चुकता कर देते हैं। और

1.	मुर्गी पालन	12.	अगरबत्ती बनाना	22.	साबुन बनाना
2.	चटाई बनाना	13.	मछली पालन	23.	बुनाई करना
3.	बॉस की टोकरी बनाना	14.	सुअर पालन	24.	कपड़े बुनना
4.	खिलौने बनाना	15.	जिल्डसाजी	25.	हाथ से कागज बनाना
5.	सब्जी उगाना	16.	मोमबत्ती बनाना	26.	प्लास्टिक का काम
6.	बकरी पालन	17.	सिलाई	27.	पत्ते के दोने बनाना
7.	दुग्ध उत्पादन	18.	कढ़ाई	28.	सूत काटना
8.	झाड़ू बनाना	19.	अचार बनाना	29.	लकड़ी का काम
9.	जूट का काम	20.	चाक बनाना	30.	गोंद बनाना
10.	मधुमक्खी पालन	21.	लिफाफे बनाना	31.	रसरी बरना
11.	चमड़े का काम	22.	साबुन बनाना	32.	कालीन बनाना

फिर इस उद्योग से स्थायी रूप से अपनी आय संवर्धन करके अच्छे सामाजिक-आर्थिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तथा अन्य नवनिर्मित समूहों को स्वयं ऋण उपलब्ध कराने के योग्य हो जाते हैं।

इस प्रकार अपनी रोज की मजबूरी/आय से जमा की गई सामूहिक बचत से एक बड़ी धनराशि तैयार हो जाती है जिसके द्वारा छोटा-मोटा रोजगार/उपक्रम खड़ा किया जा सकता है और इसके माध्यम से जीवन-स्तर उत्तम बन सकता है तथा रोजगार का साधन बन सकता है।

(लेखक कृषि विज्ञान केन्द्र बलिया में कार्यरत हैं।
ई-मेल : aksinghlk@rediffmail.com)

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप “कुरुक्षेत्र” पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की व्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110001, आप हमें लेख ई-मेल भी कर सकते हैं।

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

सामान्य अध्ययन

हिन्दी माध्यम GS की सर्वश्रेष्ठ टीम

- GS Basics एवं रणनीति By Manoj Kr Singh • इतिहास व संस्कृति By YD MISRA एवं Manoj Kr Singh • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी By Sharad Tripathi • भारतीय राजव्यवस्था By M Gautam & Manoj Kumar Singh • भारतीय अर्थव्यवस्था By Arunesh Singh • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा By S Tripathi & M. Gautam • मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकी By A K Singh • भूगोल By Dr Shashi Shekhar & B M Panda

सर्वश्रेष्ठ कक्षागत योजना

✓ एकीकृत कक्षागत प्रशिक्षण कार्यक्रम

- फाउंडेशन हेतु 510+ घटे का क्लासरूम प्रशिक्षण • उत्तर लेखन व मूल्यांकन हेतु 75 घटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण • प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार अद्यतन अध्ययन सामग्री • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक समसामयिक व सामाजिक विषयों की तैयारी हेतु विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था • सामान्य ज्ञान अभिवर्धन पर विशेष बल

✓ कक्षा प्रशिक्षण योजनाएँ

- प्रारंभिक परीक्षा हेतु 21 टेस्ट सिरीज कार्यक्रम • 45 कक्षागत (250 शब्द, 150 शब्द, 100 शब्द, 50 शब्द, 20 शब्द) मुख्य परीक्षा टेस्ट • UPSC प्रतिमान पर आधारित मूल्यांकन व व्यक्तिगत फीडबैक व्यवस्था • महत्वपूर्ण पुस्तकों यथा NCERT, India Year Book राजपत्र पर आधारित परीक्षण व्यवस्था

Programme Director : Manoj Kumar Singh

Managing Director: ALS, Interactions IAS Study Circle, Competition Wizard, ISGS

GS बैच प्रारंभ

Batch I

18 नवम्बर

(Time: 11:30am-02:00pm)

Batch II

10 दिसम्बर

(Time: 11:30am-02:00pm)



Jai Prakash Maurya
वर्ष 2009 में सर्वोच्च स्थान



Manoj Jain
वर्ष 2005 में सर्वोच्च स्थान

**IAS
2009
Results**

Total selections
230+

इतिहास

भूगोल

लोक प्रशासन

समाजशास्त्र

सभी बैच प्रारंभ

28 नवम्बर एवं 10 दिसम्बर

ALS GS & CSAT TEST SERIES PROGRAMME for Prelim 2011

at North and South Delhi Centre

Batches Begin: **05 Dec & 12 Dec**

ALS
ADMISSION
ENQUIRY

011-27651110
9810312454
9999343999
9810269612
9910602288



Alternative Learning Systems (P) Ltd.
Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-09.
Ph: 27651700. South Delhi Centre: 62/4, Ber Sarai, Delhi-16. Ph: 9868773344, 26861313.



Be in touch...
Manoj K Singh
Managing Director, ALS

Visit us at: www.alsias.net

जई

की फसल चारा
एवं दाना दोनों उद्देश्यों के
लिए उगाई जाती है। जई एक
पौष्टिक चारा है जो विशेषतः घोड़ों
एवं दुधारु पशुओं के लिए अच्छा
माना जाता है। हमारे देश में पहाड़ी
भागों और मैदानी भागों में जई सबसे
महत्वपूर्ण एकवर्षीय चारे की धासदार फसल
है। इसका महत्व देश के शीत व शीतोष्ण
कट्टिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जई
के चारे में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम पाई
जाती है इसलिए इसको बरसीम
अथवा रिजका के साथ 1:1
अथवा 2:1 के अनुपात में
मिलाकर छिलाया
जाता है।

जई के चारे में औसतन 10–12 प्रतिशत प्रोटीन और 58–60 प्रतिशत तक शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता पायी जाती है। इसके चारे में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट और 30–35 प्रतिशत शुष्क पदार्थ पाया जाता है। यह 'हे' या साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जई के चारे में निम्नलिखित पोषक तत्व पाए जाते हैं :—

जई चारे की पौष्टिकता			
रासायनिक तत्व	काटने की अवस्थानुसार जई के चारे में रासायनिक पोषक तत्वों की मात्रा		
	पुष्पावस्था	दुग्धावस्था	परिपक्व अवस्था
प्रोटीन	16.60	6.40	9.25
कड़ा रेशा	32.90	28.70	38.80
नाइट्रोजन रहित निष्कर्षण	36.40	53.20	44.80
ईथर निष्कर्षण	2.14	2.30	1.80
कुल राख	13.90	9.30	9.40
कैल्शियम	0.48	0.47	0.35
फास्फोरस	0.33	0.22	0.15
मैग्नीशियम	0.22	0.12	
सोडियम	0.81	0.52	0.62
पोटाश	4.40	2.85	2.40





जई की उत्पत्ति के विषय में अधिक मालूम नहीं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जई की खेती गेहूं या जौ के बाद आरम्भ हुई। जई इन अनाज वाली फसलों के साथ खरपतवार के रूप में बहुत पहले से ही उगती गई है, फिर धीरे-धीरे इसकी खेती प्रारम्भ हुई। जौ के साथ खरपतवार के रूप में पाये जाने और आकार में कुछ-कुछ मिलने से इसे जई कहा जाने लगा। प्राचीनकाल में मिश्र के लोग जई उगाते थे। ग्रीक के लोग इसे ब्रोमस जींस कहते थे और लैटिन में इसको अरेना कहते हैं। चीन में जई लगभग 618 से 907 ई. में उगायी जाती थी। इस जाति को अवेना सेटाइवा न्यूडा कहते हैं। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से चारे के रूप में इसको उगाया जा रहा है। कई विद्वानों के अनुसार जई का उत्पत्ति स्थान एशिया माझनर माना गया है। इन विद्वानों के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि जई 'एमर गेहूं' के साथ एक खरपतवार के रूप में उत्तरी भागों में पहुंची। अब जई कई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोपीय देशों में उगायी जा रही है।

वानस्पतिक विवरण

जई एक वर्षीय शाक है इसकी झाकड़ा जड़ें बहुत महीन होती हैं तथा तना सीधा, खड़ा, 4 से 8 पर्ववाला, सामान्यतः मोटा तथा मुलायम होता है। गांठें कुछ फूली हुई होती हैं और उसके ठीक नीचे व ऊपर कुछ रोम की तरह रचनाएं पायी जाती हैं। तना बेलनाकार, पीला तथा शाखित होता है। पत्तियां एकान्तर क्रम में व अवृत्त होती हैं। इसके किनारों तथा निचली सतह पर बहुत पतले-पतले रोएं पाये जाते हैं। पत्तियां जिहिकायुक्त होती हैं। जिहिका भली प्रकार विकसित व अंडाकार होती हैं और उसके सिर पर कई पतली, दांत जैसी रचनाएं पायी जाती हैं। पत्ती का रंग अपेक्षाकृत हल्का हरा होता है। पुष्पक्रम शुकिकाओं से बना संयुक्त असीमाक्षा होता है। मुख्य प्राक्ष के सिरे पर एक शूकिका बनती है। प्रत्येक शूकिका में 1 से 7 तक पुष्पक पाए जाते हैं जो तुष-निपत्रों के पत्र जोड़े ढके रहते हैं। पुष्पक अवृत्त होते हैं। तथा प्राक्ष पर एकान्तर क्रम से लगे रहते हैं। पुष्प द्विलिंगी तथा अपूर्ण होते हैं। फूल कैरिओप्सिस होता है, जिसमें फलभित्ति तथा बीज-कवच पूर्ण रूप


से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैरिओप्सिस आकार में गेहूं की तरह होता है। फलभित्ति की सारी सतह रोएंदार होती है। बीज भ्रूणपोषी होता है। गेहूं की तरह जई में भी मुख्यतः स्वयंसेचन ही होता है।

अंकुरण के समक्ष जई में केवल तीन प्राथमिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। पौधावस्था में वृद्धि स्थान छोटे रहते हैं, पत्तियां बढ़ती हैं और तनों के आधार पर पत्तियों के अक्ष से दौजियों की कोंपलों का विकास होता है। तत्पश्चात् तनों के पर्व बढ़ते हैं और शूकिकाएं तथा पुष्पांग विकसित होते हैं।

जलवायु एवं भूमि

प्रायः जई सिंचित स्थानों में उगायी जाने वाली चारे की एक फसल है। इसकी कई किस्में असिंचित स्थानों पर भी उगायी जाती हैं। इसमें पाला या ठण्ड को सहन करने की शक्ति पायी जाती है। इसकी खेती सामान्यतया 21–24 डिग्री से. तक के तापमान वाले क्षेत्रों में की जाती है। सर्दी की अवधि लम्बी होने से इसकी उपज अधिक होती है। कम तापमान की अवस्था में इसका अंकुरण धीरे-धीरे कम होता है। 4–18 डिग्री से. तक के तापमान में इसका अनुकरण 94–99 प्रतिशत तक होता है। इसके नीचे के तापमान पर केवल 2 प्रतिशत अंकुरण पाया जाता है। इसे पूरा करने के लिए बीज को अधिक दिनों तक भूमि में रखना पड़ता है। जैसे-जैसे मृदा का तापमान कम होता जाता है, वैसे-वैसे अनुकरण होने में समय लगता है।

जई की फसल बलुई-दोमट भूमि में अच्छी तरह उगती है। भारी मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। इसे सामान्य क्षारीय





जई के खेत में प्रयोग करते हुए

क्षेत्रों में उगा सकते हैं। इसकी खेती उन सभी स्थानों पर की जा सकती है, जहां वर्षा 380–1150 मि.मी. वार्षिक तक होती है। इसकी वृद्धि 15–20 डिग्री से तक के तापमान में अच्छी होती है। समतल भूमि पर जई की खेती प्रायः मक्का या अन्य बरसात की फसल के बाद करते हैं। कई स्थानों पर इसकी बुवाई बरसीम या रिजका के साथ भी की जाती है। कम तापमान में उगायी जाने वाली किस्में चरागाह के लिए भी अच्छी मानी जाती है।

उन्नत किस्में

उत्तर भारत के मैदानी एवं पर्वतीय भागों के लिए उपयुक्त जई की एक बहुत अच्छी किस्म यू.पी.ओ. 212 है। इससे लगभग 500–600 कुन्तल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ओ.एस. 6 तथा यू.पी.ओ. 94, जे.एच.ओ. 822, 851, ओ.एल. 88, आर.ओ. 19, जे.ओ. 1, कैन्ट आदि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जई की उन्नत किस्मों को उनकी अवधि के अनुसार प्रायः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

- अग्रेती किस्में जिनमें पुष्पावस्था 65–70 दिनों में आ जाती है। इस श्रेणी में पायी जाने वाली कुछ जातियां जैसे रैपिडा और इण्डिओ जोकि अमेरिका से लायी गई हैं; इन्हें दो मुख्य फसलों के बीच में खाली पाये जाने वाले समय में उगाकर चारा पैदा किया जा सकता है। इन किस्मों से केवल एक कटाई ही ली जा सकती है।
- मध्यम अवधि की किस्में जिनके अंतर्गत भारत में प्रचलित सभी किस्में सम्मिलित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए कैण्ट,

फ्लोमिन गोल्ड, वैस्टन 11, एच.एफ.आर.आई. 2688। इन किस्मों में पुष्प अवस्था प्रायः 90–100 दिनों में आती है।

- पिछली किस्में जिनमें पुष्पावस्था 100 दिन के बाद आती है। ये किस्में प्रायः एक से अधिक कटाई या चराई के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। विदेशों से लायी गई कुछ किस्में जैसे आरिट, कोचमैन इसके उदाहरण हैं। इन किस्मों का बीज छोटे आकार का होता है।

इसके अतिरिक्त कटाई की संख्या के आधार पर भी जई की किस्मों को

दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

- एक कटाई वाली किस्में जिनकी अधिकतम उपज केवल एक कटाई से ली जा सकती है, और
- बहु कटाई वाली किस्में जिनसे एक से अधिक कटाई की जा सकती है। इनमें पुनर्वृद्धि की अधिक क्षमता पायी जाती है।

खेत की तैयारी

जई की अधिक पैदावार के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है जिसमें सिंचाई और जल निकास का समुचित प्रबन्ध हो। इस फसल को क्षारीय व अम्लीय भूमि में भी उगाया जा सकता है। बुवाई के पहले खेत को अच्छी प्रकार तैयार कर लेना चाहिए। खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाना आवश्यक है। जुताई की संख्या खेत में उगायी गयी पहली फसल पर निर्भर है। यदि संभव हो तो खेत को समतल कर लेना चाहिए।

बुवाई

जई की खेती प्रायः सर्दियों के आरम्भ में रबी के रूप में की जाती है। अधिक ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों में इसे मार्च–अप्रैल में भी उगाते हैं। इसकी बुवाई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर या नवम्बर माना जाता है। धान के बाद इसे अक्टूबर में उगाते हैं। प्रायः जई की मिलवां खेती करते हैं। इसके साथ वैच, वरसीम या चेर की सरसों को मिलाकर उगाया जा सकता है।

शुद्ध फसल को उगाने के लिए 100 किलोग्राम बीन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। मिलवां फसल में यह दर 25–30 प्रतिशत



कम की जा सकती है। प्रायः समतल भूमि पर बीज को 20–25 से. मी. की दूरी पर लाइनों में उगाते हैं। बीज की गहराई 1.5 से 2.0 से.मी. तक होनी चाहिए। इसकी बुवाई छिटकवां विधि से भी की जा सकती है। परन्तु इसमें बीज की दर कम से कम 10–15 प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है। इस विधि से बुवाई करने में प्रायः 10–15 प्रतिशत बीज जमीन के ऊपर रह जाते हैं और अंकुरित नहीं होते हैं। पछेती किस्मों के बीज छाटे आकार के होते हैं। इन किस्मों में प्रति पौधा कल्लों की संख्या भी अधिक पायी जाती है। ऐसी किस्मों में 70–75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। दर से बुवाई करने पर भी बीज की दर बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि ऐसी फसलों में पौधों में कल्ला उत्पादन संख्या काफी कम हो जाती है।

खाद एवं उर्वरक

फलीदार चारे के विपरीत जई की अच्छी पैदावार और उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिक वानस्पतिक वृद्धि और कटाई के लिए नाइट्रोजन अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों के नतीजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि इस फसल की अच्छी पैदावार के लिए 120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फास्फोरस तथा 25–30 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देना अति आवश्यक होता है। हालांकि फास्फोरस तथा अन्य पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर ही निर्धारित करनी चाहिए।

नाइट्रोजन का मुख्य और सस्ता स्रोत यूरिया माना जाता है। बहु कटाई वाली किस्मों में

नाइट्रोजन के आधे भाग को बुवाई के पहले खेत में डालकर मिलाना चाहिए। इसी के साथ फास्फोरस तथा जिंक सल्फेट तत्वों को भी डालते हैं। शेष नाइट्रोजन का 50 प्रतिशत भाग पहली सिंचाई (बुवाई से 20–25 दिनों के बाद) तथा शेष भाग पहली कटाई के बाद डालते हैं। इससे पुनर्वृद्धि और उत्पादन में सहायता मिलती है।

इसी प्रकार एक कटाई वाली किस्मों में नाइट्रोजन की कुल मात्रा

का दो तिहाई भाग खेत की तैयारी के समय बुवाई के पहले प्रयोग करते हैं तथा एक—तिहाई भाग सिंचाई के समय खेत में छिटकते हैं। बीज उत्पादन के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कम की जाती है और इसे कम से कम 3–4 बार में डालते हैं ताकि बीज उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़े।

सिंचाई एवं जल निकास

सिंचाई की आवश्यकता पानी की उपलब्धि के अनुसार निश्चित करते हैं। पहली सिंचाई बुवाई के 20–25 दिनों बाद करने से पौधों में दौजियों की संख्या में वृद्धि होती है। असिंचित खेती में दौजियां कम पायी जाती हैं। आवश्यकतानुसार कुल 4–5 सिंचाई की दशा में उपज अच्छी होती है।

प्रायः पानी की आवश्यकता भूमि के गठन, वातावरण और किस्म के ऊपर निर्भर है। शीतोष्ण कटिबंध के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। पुष्पावस्था में नमी या पानी की कमी से पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा बीज की उपज कम हो जाती है। शुष्क भागों में उगाने के लिए 'रेड ओट' जिसकी प्रसिद्ध किस्में फुलघम एवं कैलिफोर्निया रैड हैं, सबसे उपयुक्त पायी गयी हैं। इनमें तापमान और जल के अभाव को सहने की अधिक क्षमता पायी जाती है। जई के पौधों का म्लानि गुण 99 होता है। इसकी तुलना में गेहूं मक्का, ज्वार, जौ और धान का क्रमशः 99, 103, 98, 97 और 94 होता है। यह गुणांक पौधों की जड़ के मिट्टी में उचित वितरण पर निर्भर है। पौधों के भूमि से पानी को सोखने की क्षमता का इसके ऊपर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंचाई



जई की फसल हरे चारे के लिए तैयार



के साथ-साथ उचित जल निकास अत्यन्त आवश्यक है। बिना जल निकास के प्रबन्ध किए जई उगाना कठिन है।

फसल चक्र

जई की खेती अधिकतर बरसीम, रिजका इत्यादि के साथ मिलवां खेती के रूप में की जाती है। परन्तु कुछ मुख्य फसल चक्र निम्न प्रकार के प्रचलित पाए जाते हैं :-

- ज्वार – जई – मक्का एकवर्षीय
- मक्का – जई – मक्का एकवर्षीय
- सूडान घास – जई – मक्का+लोबिया एकवर्षीय
- लोबिया+जई+सरसों – मक्का+लोबिया एकवर्षीय
- ज्वार+लोबिया – जई – रिजका एकवर्षीय

खरपतवार नियंत्रण

चारे के लिए बोई गई जई में, जोकि काफी घनी बोयी जाती है, खरपतवार नियंत्रण एवं गुड़ाई की आवश्यकता कम ही पड़ती है। असिंचित फसल में खरपतवारों द्वारा पोषक तत्वों और जल की हानि को रोकने के लिए निराई-गुड़ाई करना लाभदायक रहता है। पंक्तियों में बोयी गई फसल में निराई सुविधापूर्वक की जा सकती है।

द्विबीजपत्री खरपतवारों का नियंत्रण 2, 4 डी के छिड़काव द्वारा भी किया जा सकता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में किए गए परीक्षणों के आधार पर 2, 4 डी के छिड़काव द्वारा अच्छे परिणाम मिले हैं। छिड़काव उस समय करना चाहिए, जब पौधे 15–20 से. मी. की ऊंचाई के हो जाएं अथवा बुवाई के 20–25 दिन बाद 2, 4-डी के एमीनो लवण का प्रयोग 0.5 कि.ग्रा. हेक्टेयर की दर से

किया जा सकता है। जब जई किसी द्विबीजपत्री फसल के साथ मिलाकर बोयी गई हो, तो 2, 4-डी. का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बीज उत्पादन के लिए बोई गई जई में 2, 4-डी. का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

कीट नियंत्रण

जई की फसल को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कीट दीमक है, जो बीज के अंकुरण पर बुरा प्रभाव डालता है। फसल को दीमक से बचाने के लिए बीज को 2 प्रतिशत बी.एच.सी. से (200 ग्राम रसायन प्रति कुन्तल बीज) उपचारित करना चाहिए।

रोग नियंत्रण

आवृत्त कंड रोग कभी-कभी फसल को काफी हानि पहुंचाता है। बीज को 1 प्रतिशत कॉपर सल्फेट के घोल अथवा 0.5 प्रतिशत एग्रोसान जी.एन. से उपचारित करने पर इस रोग की रोकथाम हो जाती है। जई की एक मुख्य बीमारी डैपिंग ऑफ गेरुई अधिक महत्वपूर्ण है। इनके लिए अवरोधी किस्मों का प्रयोग करना आवश्यक है।

कटाई एवं मंडाई

जब पौधे लगभग 60–65 से.मी. ऊंचे हो जाएं अथवा 50–55 दिन के हो जाएं तो प्रथम कटाई कर लेनी चाहिए। दूसरी कटाई 50 प्रतिशत पुष्टावस्था पर करनी चाहिए। यदि पहली कटाई देर से की जाती है, तो दूसरी कटाई तक पौधे की बढ़ोत्तरी अच्छी नहीं होती। प्रथम कटाई में जई के पौधों को जमीन से 8–10 से.मी. ऊपर से काटना चाहिए। बीज की अधिक ऊपर लेने के लिए अगेती फसल को प्रथम कटाई के बाद और पछेती फसल को बिना काटे हुए बीज के लिए छोड़ देना चाहिए। दाना निकालने के लिए जई की मड़ाई भी गेहूं या जौ की तरह ही की जाती है।

उपज

जई से 500–600 कुन्तल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। यदि फसल प्रथम कटाई के बाद बीज के लिए छोड़ दी जाती है, तो प्रति हेक्टेयर लगभग 250 कुन्तल हरा चारा, 25–30 कुन्तल बीज और 25–30 कुन्तल भूसा प्राप्त हो जाता है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के सत्य विज्ञान संभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं।)

ई-मेल : ysshivay@hotmail.com

सख्ती सुलभ

औषधि मूली

डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल

मूली एक ऐसी कन्द सब्जी है जो सबको प्रिय है। यह विशेषकर सर्दियों में उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर सभी ऋतुओं में मिलती है। मूली के सेवन से आंतों की गति तेज होती है तथा शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। यह शरीर में स्फूर्ति, शक्ति और गर्भ पैदा करती है तथा शरीर को संक्रामक रोगों से बचाती है। मूली के बीज भी बहुत लाभदायक होते हैं। मूली के बीज पौष्टिक, दस्तावर, गैस निकालने वाले और मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं। मूली के पत्तों का शाक तथा सलाद (कच्चा) खाने से पुराने से पुराना कब्ज़, पीलिया, रक्तहीनता आदि रोग दूर होते हैं।



आजकल ज्यादातर लोग अस्पतालों तथा अंग्रेजी दवाइयों होने वाली उन शाक-सब्जियों की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता, जो बिना किसी हानि के हमारी अनेक बीमारियों को निर्मूल करने में सक्षम हैं। प्रकृति हमारे लिए शीतकाल में इस प्रकार की शाक-सब्जियां उदारतापूर्वक उत्पन्न करती हैं। इन्हीं में से एक है मूली।

मूली का वानस्पतिक नाम रेफेनस सेटाइवस है। मूली को बंगला, गुजराती, मराठी में मूला, हिन्दी में मूली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु में मूलांगी, कश्मीरी में मूज तथा अंग्रेजी में इसे रेडिश कहते हैं। यह शाकवर्ग राजिकादि कुल (क्रूसीफेरी) की प्रसिद्ध शाक है।

मूली का सेवन कच्चे रूप में सर्वाधिक किया जाता है। मूली को कच्चे कोमल पत्तों सहित धूप में बैठकर सेवन करना सर्वाधिक लाभकारी होता है। मूली पर लाल मिर्च की जगह काली मिर्च डालकर सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। मूली के सेवन से आंतों की गति तेज होती है तथा शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। यह शरीर में स्फूर्ति, शक्ति


और गर्भी पैदा करती है तथा शरीर को संक्रामक रोगों से बचाती है। मूली के बीज भी बहुत लाभदायक होते हैं। मूली के बीज पौष्टिक, दस्तावर, गैस निकालने वाले और मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं। मूली के पत्तों का शाक तथा सलाद (कच्चा) खाने से पुराने से पुराना कब्ज, पीलिया, रक्तहीनता आदि रोग दूर होते हैं। मूली में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसका प्रभाव बहुमूल तथा गुर्द, हृदय, रक्तवाहिनियों तथा परासरणी (ऑस्मोटिक) दाब के लिए अति उपयोगी होता है।

सामान्यतः लोग मोटी मूली पसन्द करते हैं

क्योंकि मोटी मूली अधिक स्वादिष्ट होती है। मगर स्वास्थ्य तथा उपचार की दृष्टि से छोटी, पतली और चरपरी मूली ही उपयोगी है। ऐसी मूली त्रिदोष (वात, पित्त और कफ) नाशक है। इसके विपरीत मोटी और पकी मूली त्रिदोषकारक मानी जाती है। अनेक छोटी-बड़ी व्याधियां मूली से ठीक की जा सकती हैं। मूली का रंग सफेद है, लेकिन यह शरीर को लालिमा प्रदान करती है। भोजन के साथ या भोजन के बाद मूली खाना विशेष रूप से लाभदायक है। मूली और इसके पत्ते भोजन को ठीक प्रकार से पचाने में सहायता करते हैं। वैसे तो मूली के परांठे, रायता, तरकारी, अचार तथा भुजिया जैसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभकारी होती है कच्ची मूली। भोजन के साथ प्रतिदिन एक मूली खा लेने से व्यक्ति अनेक बीमारियों से मुक्त रह सकता है।

मूली स्वादिष्ट और पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। मूली में जीवनरक्षक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, सी एवं बी कॉम्प्लैक्स समूह के विटामिन जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा

नायसिन आदि उचित मात्रा में पाये जाते हैं। मूली में खनिज लवण कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा लौह तत्व आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं (देखे तालिका 1)। प्रोटीन की दृष्टि से मूली श्रेष्ठतम आहार है क्योंकि इसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे— आर्जीनिन, हिस्टीडीन, लायसीन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल.एलेनीन, मिथियोनिन, थियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलीन आदि उचित मात्रा में पाये जाते हैं। कन्द के साथ मूली की पत्तियां भी बहुत उपयोगी होती हैं। सामान्यतः हम मूली को खाकर उसके पत्तों को फेंक देते हैं जोकि स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत है क्योंकि मूली की





पत्तियों में विटामिन ए, सी एवं बी कॉम्प्लैक्स समूह के विटामिन जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा नायसिन आदि एवं खनिज लवण कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा लौह तत्व आदि प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। अतः मूली के साथ इसके पत्तों का सेवन भी किया जाना चाहिए। मूली में क्षार तत्व सोडियम तथा क्लोरीन पाए जाते हैं। क्षार तत्व सोडियम गलाने का कार्य करता है तथा क्लोरीन सफाई करती है। 100 ग्राम मूली के सेवन से 17 किलो कैलोरी तथा मूली की पत्तियों से 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

**तालिका 1 : मूली का पोषक मान
(खाद्य भाग के प्रति 100 ग्राम भार में)**


नमी	94.4 प्रतिशत	कैल्शियम	35 मि.ग्रा.
कार्बोहाइड्रेट	3.4 प्रतिशत	आयरन	0.4 मि.ग्रा.
प्रोटीन	0.7 प्रतिशत	केरेटिन	3 माइक्रोग्रा.
वसा	0.1 प्रतिशत	थायमीन	0.06 मि.ग्रा.
खनिज लवण	0.6 प्रतिशत	राइबोफ्लेविन	0.02 मि.ग्रा.
रेशे	0.8 प्रतिशत	नायसिन	0.5 मि.ग्रा.
ऊर्जा	17 किलो कैलोरी	विटामिन सी	31 मि.ग्रा.

मूली, शरीर से विषेशी गैस कार्बन-डाई-ऑक्साइड को निकालकर जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करती है। मूली हमारे दांतों को मजबूत करती है तथा हड्डियों को शक्ति प्रदान करती है। इससे व्यक्ति की थकान मिटती है और अच्छी नींद आती है। मूली खाने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है तथा बवासीर और हृदय रोग को शांत करती है।

औषधीय गुण

श्वास रोग : श्वास की स्थिति में पत्ते सहित मूली को उबालकर, छानकर सूप बना लें। इसमें अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा तथा अन्य श्वास कष्ट के दौरे में राहत मिलती है।

पथरी : जिन लोगों को पथरी की शिकायत है वे 35 ग्राम मूली के बीज को आधा किलो पानी में उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए तब छानकर पिएं। कुछ दिनों तक



नित्य सेवन करने से मूत्राशय की पथरी गलकर बाहर निकल जाती है या 20–25 ग्राम मूली का रस चार-चार घंटे बाद दो से तीन माह तक नित्य पिएं और पत्तों को खूब चबा-चबाकर खाएं। इससे पथरी चूर-चूर होकर पेशाब के साथ बाहर आ जाएगी।

मोटापा : मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है। मोटापा कम करने के लिए मूली बहुत लाभदायक है। इसके रस में थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर नियमित रूप से पीने से मोटापा कम होता है और शरीर सुडौल बन जाता है।

पेशाब में जलन : पेशाब करते समय यदि जलन होती हो तो मूली का रस 15 दिनों तक नियमित रूप से पीना चाहिए। इससे पेशाब की जलन और तकलीफ में राहत मिलती है।






कब्ज़ : जिन लोगों को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, उन लोगों को प्रतिदिन मूली की सब्जी खाने से लाभ होता है।

बवासीर : मूली और उसके पत्तों के सेवन से बवासीर में लाभ होता है। बवासीर कैसी भी हो खूनी या बादी, इसमें मूली का रस एक कप लेकर उसमें एक चम्मच देशी धी मिलाकर, सुबह-शाम नियमित पीने से लाभ होता है। कच्ची मूली का सेवन भी बवासीर में लाभदायक होता है। एक सफेद कच्ची मूली को काटकर उसे ऐसी जगह लटका दें जहां पर ओस पड़ती हो, इसे सुबह खाली पेट सेवन करें। इस प्रयोग से पीलिया तथा पथरी रोग में भी लाभ होता है।

पेट दर्द : पेट दर्द होने पर एक कप मूली के रस में नमक,



मिर्च डालकर पीने से कुछ ही देर में पेट दर्द में आराम मिल जाता है।

मधुमेह : मधुमेह रोग में मूली या मूली के रस का सेवन लाभदायक होता है। आंतों का कोई भी रोग हो उसमें मूली का रस पीना चाहिए। यह आंतों में एंटीसेप्टिक का काम करता है।

चर्म रोग : मूली के बीजों को उसके पत्तों के रस के साथ पीसकर लेप किया जाए तो दाद, खुजली तथा सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं।

कान के रोग : मूली के रस में तिली का तेल मिलाकर और उसे हल्का गर्म करके कान में डालने से कर्णनाद, कान का दर्द तथा कान की खुजली ठीक हो जाती है।

हिचकी : बार-बार हिचकी आने पर मूली के चार-पांच कोमल पत्ते चबा-चबाकर खाने से लाभ होता है या आधी मूली के छोटे-छोटे टुकड़े करके एक गिलास पानी में उबाल लें, एक चौथाई पानी शेष रह जाने पर छानकर पीने से हिचकी बंद हो जाती है।

पीलिया : पीलिया रोग में एक कच्ची मूली प्रातः एक सप्ताह तक नित्य खाने से पीलिया ठीक हो जाता है।

बधिरता : ताजी मूली के रस में सरसों का तेल तथा शहद सम मात्रा में मिलाकर तीन-तीन बूंद कान में डालने से ठीक से सुनाई पड़ने लगता है तथा बधिरता दूर होती है।

पेट के रोग : मूली के रस में सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक का रस मिलाकर पीने से पेट दर्द, वायु फुल्लता, अजीर्ण तथा मंदाग्नि दूर होती है।

धातु दौर्बल्य : दस ग्राम मूली के बीज का चूर्ण बनाकर सौ ग्राम मलाई के साथ खाने से धातु दौर्बल्य की स्थिति दूर होती है।

मूत्र रोग : मूत्र रोग जैसे- पेशाब रुक-रुककर आना, कम आना, जलन तथा मूत्रकच्छ में मूली के पत्तों का रस पीने से लाभ होता है।

नपुंसकता : 10 ग्राम बीज चूर्ण को दूध एवं शहद के साथ प्रातःकाल सेवन करने से नपुंसकता दूर होती है।

अस्लपित्त : कोमल मूली शक्कर मिलाकर खाने से



अथवा इसके पत्तों के रस में शक्कर मिलाकर पीने से अस्तिपृष्ठ मिटाता है।

जुएः पानी में मूली का रस मिलाकर सिर धोने से जुएँ नष्ट होती हैं।

नेत्र ज्योति : मूली में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसका रस नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होता है।

सौन्दर्यवर्द्धक : मूली सौन्दर्यवर्द्धक भी है। इसके प्रतिदिन सेवन से रंग निखरता है, खुशकी दूर होती है, रक्त शुद्ध होता है और चेहरे की झाइयां, कील-मुँहासे आदि साफ होते हैं।

तिल्ली : मूली को एक सप्ताह तक कांजी में डाले रखने तथा उसके बाद उसके सेवन से बढ़ी हुई तिल्ली ठीक हो जाती है।

रक्ताल्पता : मूली के रस में समान मात्रा में अनार का रस मिलाकर पीने से रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और रक्ताल्पता का रोग दूर होता है।

क्रोध : प्रतिदिन मूली के सेवन से क्रोध, चिड़चिड़ापन तथा झगड़ालू स्वभाव से मुक्ति मिलती है। मूली के सेवन से घबराहट कम होती है तथा मानसिक शान्ति बनी रहती है।

आलस्य : मूली पर नींबू डालकर सेवन करने से शरीर में आलस्य की जगह स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि मूली में मैग्नेशियम पाया जाता है, जो शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है।

नक्सीर : मूली पर नींबू निचोड़ कर नित्य सेवन करने से बार-बार नक्सीर आना बंद हो जाता है।

सफेद दाग : लम्बे समय तक प्रातः भूखे पेट एक कप मूली के रस के सेवन से सफेद दाग (विटियेलेगो) ठीक हो जाते हैं। मूली के बीज को नींबू के रस में पीसकर सफेद दागों पर एक बार लगाने से भी सफेद दाग ठीक होते हैं।

मूली की यह विशेषता होती है कि यह गरिष्ठ भोजन का पाचन करती है परंतु स्वयं विलंब से पचती है। मूली को पचाने के लिए इसके कोमल पत्ते खाने चाहिए तथा इन दोनों को पचाने के लिए गुड़ का सेवन करना चाहिए।

(लेखक राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)

ई-मेल : khandelwalsk19@yahoo.com



कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

विज्ञापन और प्रसाद प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी द्वंड-4, तल-7

दामकृष्णपुराम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	: 10 रुपये
वार्षिक शुल्क	: 100 रुपये
द्विवार्षिक	: 180 रुपये
त्रिवार्षिक	: 250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)	
पड़ोसी देशों में	: 530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	: 730 रुपये (वार्षिक)

नोरती ने रचा इतिहास

संगीता यादव

महात्मा गांधी ने जब ग्राम स्वराज की बात की थी तो वह असंभव जैसी लग रही थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ संभव होता नजर आ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के विकेंद्रीयकरण और आरक्षण प्रणाली के कारण आज कई महिलाएं पंचायतों में इतिहास रच रही हैं। नोरती भी उनमें से एक है। उसके कभी मिट्टी में सने रहने वाले हाथ अब कम्प्यूटर के की-बोर्ड पर धिरकते हैं। नोरती की जीवन्ता और सीखने की ललक उन्हें विदेश तक ले गई। नोरती अब कम्प्यूटर पर लाखों का हिसाब-किताब रख लेती है। यही वजह है कि गांव की जनता ने उन्हें सरपंच चुना है।

गाँधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। देश के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। जिसकी वजह से आज तमाम महिलाएं न सिर्फ पंचायत के सारे फैसले खुद ले रही हैं बल्कि समाज व देश के विकास में नजीर पेश कर रही हैं। ऐसी ही एक सरपंच हैं नोरती बाई। नोरती बाई की उम्र करीब 60 वर्ष है। वह राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के हरमाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। नोरती बाई ने यह साबित कर दिया है कि औरतें सिर्फ घर-परिवार संभालने के लिए नहीं जन्मी हैं। वे जन्मी हैं समाज में नया सृजन करने के लिए, उसे नई दिशा देने के लिए और उसके विकास के लिए। उनका दिल ममता से भरा है तो दूसरी ओर उनमें कठोर निर्णय लेने का भी साहस है। वे चाहें तो अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। नोरती बाई पहले अनपढ़ थीं। कभी उनके हाथ मेहनत—मजदूरी





करके माटी—गारे में सने रहते थे, अब उन हाथों की अंगुलियां कम्प्यूटर के की—बोर्ड पर थिरकती हैं। वह कम्प्यूटर की प्रशिक्षिका बन गई हैं। अब तक तमाम लोगों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इतना ही नहीं वह विकास के हर कार्य को बड़ी ही बारीकी से परखती हैं। उन्हें मजदूरों का प्यार मिलता है। किसकी मजाल है कि उनके गांव में होने वाले विकास कार्य में किसी तरह की हेराफेरी कर सके क्योंकि गांव की जनता विरोध में उतर आती है। गांव के लोगों को विश्वास है कि नोरती बाई जो कुछ भी करेंगी वह गांव की भलाई के लिए ही होगा। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा गया। आज महिलाओं के बीच नोरती बाई किसी सेलिब्रेटी से कम नहीं हैं। बस उनका सपना है कि समाज के हर वर्ग की लड़कियों को उच्च शिक्षा मिले, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

अपने बारे में बताएं? गांव के लोग आपको कितना प्यार देते हैं?

मैं घर में अकेली हूं। पति की मौत के बाद बड़ा ही संघर्षमय रहा जीवन। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमें अपने आप पर भरोसा था। उम्मीद थी कि मेहनत—मजदूरी करती रहूँगी। किसी का कोई नुकसान नहीं करूँगी तो कभी मुश्किल में नहीं फसूँगी। हुआ भी वैसा ही। मैंने हमेशा दूसरों की सेवा करनी की सोची। जो बन पड़ा किया। किसी का कभी भी अहित नहीं होने दिया। किसी के हक पर डाका पड़े, यह हमें कभी मंजूर नहीं हुआ। माना कि मेरा लालन—पालन ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त हुआ, जिस वक्त हम लोगों को मेहनत—मजदूरी के बाद भी हक नहीं


मिलता था। मन में यही टीस थी। लेकिन समय के साथ यह टीस भी निकल गई और हमें हमारा हक मिला।

आप किस तरह के हक की बात करती हैं?

हक का मेरा मतलब है अगर कहीं मजदूरी करूं तो पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। काम कराने के बाद अगर कोई पैसा नहीं देता है, तो यह नाइंसाफी है। इस तरह की बेगारी बंद होनी चाहिए। मेरे इलाके में अब ऐसी स्थिति नहीं है।

आपका घर एकदम टूटा—फूटा है। यहां तो बिजली तक नहीं है। तमाम सरपंचों के घर चमचमाते हुए होते हैं। उनके घर के सामने गाड़ी होती है। तमाम लोग दरबार लगाए रहते हैं। सरपंच होने का मतलब एक हस्ती होना है। फिर आप कैसा जीवन जी रही हैं?

जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता और आज भी संघर्ष कर रही हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अपने लिए संघर्ष कर रही थी और अब दूसरों के लिए। जैसाकि आप देख रही हैं मेरे घर में न तो बिजली है और न ही पंखा। बस लोगों की सेवा में समर्पित हूं। गांव के लोगों का बहुत प्यार मिलता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती है कि मुझे जरा—सा बुखार आ जाए तो हर कोई परेशान





हो उठता है और मेरे इलाज में जुट जाता है। पूरा गांव मेरा परिवार है। हमें किसी तरह की सुख-सुविधा की जरूरत नहीं है। हमारी यही इच्छा है कि बस इस तरह से गांव के लोगों के बीच हमारा प्यार बना रहे। हम सभी के दुख-सुख में सहभागी बने रहें।

आपका यह सफर कैसे शुरू हुआ। आप इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बन गईं?

पहले मैं मजदूरी करती थी। आज से करीब 20 साल पहले सरकारी काम में पुरुषों को सात रुपये मजदूरी मिलती और महिलाओं को सिर्फ तीन रुपये। इस बात को लेकर हमने विरोध किया। गांव की दूसरी महिलाएं भी साथ हो गई। हमने महिलाओं को इकट्ठा किया और सभी को साथ लेकर विरोध-प्रदर्शन में जुट गई। हमारे साथ कई महिलाएं थीं। इसमें कुछ अब इस दुनिया में नहीं हैं तो कुछ आज भी हमारा सहयोग कर रही हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर इसकी शिकायत एसडब्ल्यूआरसी (सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर) तिलोनिया से की। यहां से हमें एक उम्मीद दिखी। हम सभी लोग अधिकारियों से मिले। अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर 1981 में सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने संजीत रॉय बनाम राजस्थान सरकार केस में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिलाओं को भी बराबर मजदूरी दी जाए। भेदभाव करने वाले सरपंच को जेल जाना पड़ा। अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और काम करने वाली सभी महिलाओं को छह महीने का पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया।

इसके बाद तो आसपास के तमाम लोग आपको जानने लगे होंगे। फिर आपने क्या किया?

कोर्ट से जीत मिलने के बाद हमारे गांव ही नहीं पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। यह बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद हमने महिलाओं को साथ लेकर महिला समूह का गठन किया। हम सभी महिलाओं ने तिलोनिया में प्रशिक्षण लिया। तिलोनिया में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बंकर रॉय, संजय रॉय आदि ने हम सभी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। हमें अपने हक के लिए आवाज उठाने को प्रेरित किया। हमें बताया कि कौन-कौन से कानून हैं और किस तरह से हम अपने अधिकारों को लेकर लड़ सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ जिंदगी का एक नया सफर। हम सभी लोगों ने पेट पालने के लिए मजदूरी की और जीवन में कुछ करने की ललक लेकर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस दौरान

तमाम तरह की अड़चनें आईं। कभी समाज का डर तो कभी गांव का। लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय हौसला हार गई होती तो शायद आज आपके सामने इस तरह से न होती।

कब और कैसे पढ़ना-लिखना सीखा? एक उम्र के बाद पढ़ाई करते समय कैसा महसूस कर रही थीं?

बचपन से जवानी तक घर-गृहस्थी को संवारने में ही जिंदगी खपा दी, लेकिन इससे उबरने के बाद कुछ करने का मौका मिला। इरादे बुलंद थे और कुछ करने की ललक थी, सो जैसे ही साथ का मौका मिला निकल पड़ी नई राह पर। संगठन की मदद से पढ़ना-लिखना शुरू किया। तिलोनिया से जुड़ने के बाद हम लोगों को वहां पढ़ना-लिखना सीखने को कहा गया। पहले तो काफी खराब लगा कि अब इस उम्र में कैसे पढ़ सकती हूं। लगा कि यह सब कुछ बिना मतलब के कर रही हूं। अब पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, लेकिन संगठन से जुड़े लोग पीछे पड़ गए। साथियों ने कहा कि जब तक मैं पढ़ना नहीं सीखूँगी, वे मानेंगे नहीं। फिर हमने कोशिश की और धीरे-धीरे सीख गई।

कम्प्यूटर कैसे सीखा? क्या कम्प्यूटर सीखते वक्त किसी तरह की दिक्कत हुई?

शुरूआत में बड़ी परेशानी होती थी। कम्प्यूटर के की-बोर्ड पर हाथ नहीं चलता था। धीरे-धीरे प्रैक्टिस की, जिस तरह से पढ़ना सीख लिया था, उसी तरह से कम्प्यूटर के अक्षरों को भी पहचान लिया। मैं स्वयंसेवी संगठन तक आने और वापस गांव लौटते समय अंग्रेजी के अक्षरों को याद करने लगी। फिर ये अक्षर आसानी से मेरी समझ में आने लगे। प्रैक्टिस करती रही और अब सब कुछ सामने है। जब हमें कम्प्यूटर सीखने का प्रस्ताव मिला तो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहा जा रहा है। क्योंकि एक बार मुझे लग रहा था कि मैं यह सब नहीं कर सकती हूं। फिर भी अगले पल अपने आप को संभाला। खुद को समझाया कि जब पढ़ना-लिखना सीख सकती हूं तो यह क्यों नहीं। धीरे-धीरे अपने आप पर भरोसा बढ़ने लगा और फिर लगा कि निश्चित रूप से सफल होऊँगी। बाद में गांव में लोगों ने मुझे काम करते देखा तो सब चकित हो गए। अब तो दूसरों को भी कम्प्यूटर सिखा रही हूं।



अब कम्प्यूटर पर काम करना कैसा लगता है?

मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कभी कम्प्यूटर पर काम करने का मौका मिलेगा और यह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा, लेकिन अब सब कुछ सामान्य—सा लगता है। कम्प्यूटर पर काम करना बड़ा ही रोमांचकारी है।

आप कम्प्यूटर पर क्या—क्या करती हैं?

मैं कम्प्यूटर के बारे में करीब—करीब सब कुछ जानती हूं। कोई पत्र लिखना हो तो लिख सकती हूं। लोगों को ई—मेल भी भेजती हूं और अपनी मेल पर आए ईमेल का प्रिंट भी निकाल लेती हूं। अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया है? इस दौरान किस बात का खास ध्यान रखती हैं?


अब तक करीब सात सौ से अधिक लोगों को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दे चुकी हूं। कोशिश होती है कि जिस तरह से बच्चियों को खाना बनाने सहित घर के दूसरे काम देखते—देखते आ जाते हैं, उसी तरह कम्प्यूटर भी धीरे—धीरे उनकी समझ में आए। बस ट्रेनिंग देते वक्त उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे वे लोग नर्वस न हो।

आप झोपड़ी में रहती हैं, लेकिन आप मोबाइल भी प्रयोग करती हैं। मोबाइल पर बात करना कैसा लगता है?

पहले टेलीफोन की घंटिया सुनने में बड़ा मजा आता था। अब हाथ में मोबाइल है। इसे सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने दिया है। मैं नहीं ले रही थी, लेकिन उन्होंने समझाया कि इसे साथ रखने पर वह लोगों की मदद कर सकती हैं। इसलिए हमने रख लिया। जब घंटी बजती है और लोगों से बातचीत करती हूं तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है।

आप आगे क्या करना चाहती हैं। आपका सपना क्या हैं?

कम्प्यूटर ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। अब मेरी



कोशिश है कि ग्राम पंचायत की हर महिला कम्प्यूटर सीख ले। गांव का आम अवाम कंप्यूटर से जुड़े ताकि विकास का निवाला बिना किसी अवरोध के लोगों तक पहुंचे।

आप गांव के लोगों के बीच रहती हैं तो उन्हें क्या सीख देती हैं?


मेरी कोशिश है कि गांव की हर लड़की को बड़ी से बड़ी (उच्च शिक्षा) पढ़ाई कराई जाए। लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष जोर देती हूं। क्योंकि पढ़—लिखे न होने का दर्द हमने महसूस ही नहीं किया बल्कि भोगा भी है। हम नहीं चाहते कि गांव की कोई दूसरी लड़की भी शिक्षा की रोशनी से दूर रहे।

आप समाज के किस वर्ग का खास ख्याल रखती हैं?

सरपंच होने के नाते अब पूरा गांव हमारा है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ अन्याय न होने पाए। यही बजह है कि समाज ने भी हमें सिर—आंखों पर बैठाया।

सरपंच चुने जाने के बाद ग्राम पंचायत की पहली बैठक में आपने कौन—सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कराया?

सरपंच चुने जाने के बाद ग्राम पंचायत की पहली बैठक में पंचायत का काम कंप्यूटर से कराने का प्रस्ताव पारित कराया। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पांच—सात कम्प्यूटर आ जाएं, जिससे हम नरेगा और अन्य विकास के कामों का



सुना है आपने विदेश यात्रा भी की है। आप विदेश तक कैसे पहुंच गई और वहां जाकर क्या देखा?

हमने जर्मनी, चीन और अमेरिका की यात्रा की है। एसडब्ल्यूआरसी की ओर से जर्मनी गई और मजदूर किसान शक्ति संस्था की ओर से अमेरिका गई। बीजिंग में आयोजित महिला सम्मेलन में भारत की चार सौ महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इसमें हमने अजमेर का प्रतिनिधित्व किया था। इसी तरह महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भी हमने हिस्सा

लेखा—जोखा कंप्यूटर में रख सकें। साथ ही दूसरे लोगों को भी कम्प्यूटर की जानकारी दे सकें।

आपके गांव की मूल समस्या क्या है? कौन—सा कार्य कराना चाहती हैं।

हमारे गांव में सभी योजनाओं का सही ढंग से संचालन हो रहा है। राजस्थान के गांवों में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, लेकिन हमारे गांव में यह समस्या भी नहीं है। पर्याप्त बारिश होने के कारण इस बार भरपूर पानी है। सिंचाई की भी सुविधा है और पीने के पानी की भी। लोग काफी जागरूक हैं। पढ़—लिख रहे हैं। बस लड़कियों के लिए 12वीं के बाद पढ़ाई करने का कालेज नहीं है। हम चाहते हैं कि यह भी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि लड़के तो दूर जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां अभी भी दूर के स्कूलों में नहीं जा पाती हैं।

लड़कियों को दूर के स्कूलों में पढ़ने के लिए न जाने देने के पीछे क्या कारण हैं?

अभी लोग लड़कियों को लेकर उरते हैं। समाज में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भय है। हालांकि जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से लोग जागरूक नहीं हैं। जब नई पीढ़ी आएगी और वह पढ़ी—लिखी होगी तो समाज में बदलाव भी होगा और यह भय धीरे—धीरे खत्म हो जाएगा।

लिया। वहां महिलाओं के अधिकारों को लेकर किस तरह से लड़ाई लड़ी, इस पर वक्तव्य दिया। दूसरे देशों में जाकर देखा कि वहां की महिलाएं काफी जागरूक हैं। वे किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करती हैं, लेकिन हमारे यहां अभी यह बात नहीं है। विकास की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन यहां अभी भी महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। यह ठीक नहीं है।

विदेश यात्रा के बाद आपको काफी पैसे भी मिले थे। उसका क्या किया?

विदेश यात्रा के दौरान एक लाख का चैक मिला था, जिसे हमने महिला संगठन को भेंट कर दिया है। मैं चाहती हूं कि महिला संगठन और सशक्त हो, संगठन की अगुवाई में हमारी जैसी तमाम महिलाओं को पढ़ने—लिखने एवं कुछ कर दिखाने का मौका मिले। उन्हें भी हंसी—खुशी अपनी जिंदगी जीने का अवसर दिया जाना चाहिए। समाज में जब तक महिलाओं को बराबरी का पूर्ण दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक संघर्ष जारी रखना होगा।

आपने महिलाओं को पूरी मजदूरी दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर क्या कारण थे जो महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी?

सबसे बड़ा कारण था उनका पढ़ा—लिखा न होना। मजदूरी



देने वाले जानते थे कि इन्हें हिसाब जोड़ना नहीं आता है। अगर हिसाब जोड़ भी ले तो कुछ कर नहीं सकती। भेदभाव करने वालों को अधिकारी शह देते थे इसलिए भेदभाव होता था, लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं। वे हिसाब जोड़ना जानने लगी हैं। आप विकास को किस नजरिए से देखती हैं। गांव ही नहीं पूरे देश में विकास कैसा हो रहा है।

हमारे गांव में तो विकास लगातार हो रहा है। मैं कई गांवों में जाती रहती हूं। देख रही हूं कि हर जगह खूब काम हो रहा है। जब से मनरेगा आया है तब से गांव के मजदूरों को काम मिलने लगा है। पहले लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। अब बिजली होने के साथ ही टीवी, कम्प्यूटर भी आ रहे हैं। पहले गांव में एकाध लोगों के घर टेलीफोन होता था। अब सभी के पास मोबाइल है। हर घर में जहां मोबाइल पहुंच गया है वही परिवार के करीब-करीब हर कमाऊ सदस्य के पास मोबाइल जरूर है। अब इंटरनेट भी लोगों तक पहुंच मया है। संचार क्रांति के जरिए पढ़े-लिखे ही नहीं अनपढ़ भी पढ़े-लिखे होने का आभास कराते हैं। फिर भी अभी बहुत काम बाकी है। जब तक हर व्यक्ति को रोजगार न मिल जाए और हर हाथ को काम न मिले तब तक पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता है।

आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं?

हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिससे कोई भी किसी के भी हक पर डाका न डाल सके। सभी को काम मिले और विकास की किरण बिना किसी भेदभाव के हर परिवार तक पहुंच सके। जब तक विकास के मामले में किए जा रहे सरकारी प्रयास में भेदभाव मौजूद रहेगा तब तक हर वर्ग को उसका अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए सरकार योजनाएं लागू करने के साथ ही उसकी पालना पर भी ध्यान दे। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। क्योंकि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीबों के नाम पर पैसा जारी होता है करोड़ों में और वह गांव के लोगों तक पहुंचते—पहुंचते सैकड़ों में बदल जाता है। यह एक बड़ी समस्या है। इसे खत्म करना होगा। इसके लिए सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी।

तमाम महिला सरपंच अभी भी घूंघट की आड़ में रहती हैं। सरपंच चुने जाने के बाद उनका काम उनके पति, बेटे अथवा दूसरे लोग करते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है?

यह समस्या पहले ज्यादा थी। अब धीरे-धीरे कम हो रही है। बदलाव में वक्त लगता है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि नोरती बाई एक दिन सरपंच बनेगी। इसी तरह दूसरी महिलाओं को भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल रहा है। आप सही कह रही हैं कि तमाम स्थानों पर यह समस्या है। खासतौर से राजस्थान में घूंघट की परंपरा पहले से है। महिलाएं काफी पीछे हैं। औरतों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता रहा है, लेकिन अब बदलाव की हवा चली है। लोगों की समझ में आने लगा है कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। और वे कर भी रही हैं। उदाहरण आपके सामने है। जो पढ़ी-लिखी लड़कियां हैं वे तमाम फैसले अपने आप ले रही हैं। कुछ हैं दब्बू किस्म की, लेकिन देखा—देखी उनमें सुधार हो रहा है। वे जानने लगी हैं कि जब जनता ने उन्हें सरपंच चुना है तो वे फैसले दूसरों को क्यों लेने दें। लेकिन बात वही फंस जाती है कि जब जिंदगीभर दब्बू जीवन जीया तो एकाएक कैसे सुधार होगा। दबाने और फैसला न लेने की विवशता तो खड़ी की ही जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बदलाव हो रहा है। आज नहीं तो कल सब कुछ बदल जाएगा। महिलाएं किसी से पीछे नहीं रहने वाली हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई-मेल : sangeetayadavshivam@gmail.com

हमारे आगामी अंक

जनवरी, 2011 — गांवों में रोजगार

फरवरी, 2011 — सिंचाई व्यवस्था

मार्च, 2011 — खाद्य सुरक्षा

अप्रैल, 2011 — बजट 2011–12

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।



24 दिसंबर 2010



उपभोक्ता : अपने उत्तरदायित्व निभाएं, अधिकार जताएं।

शिकायत किन स्थितियों में

- किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आप को हानि/क्षति हुई है।
- यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है।
- किसाएं पर लौ गई/ उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है।
- यदि आप से प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा तथा मूल्य अथवा दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।
- यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है।

उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत

- सामान से खराबियां हटाना
- सामान को बदलना
- चुकाए गए मूल्य को वापिस पाना
- हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूत्री
- सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाना
- पार्टियों को पर्याप्त व्यायालय बाट—व्यय प्रदान करना
- व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग पर रोक
- जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाले सामान के विक्रय पर रोक

सायानी रानी का कहना-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
1986 के प्रावधानों की
जानकारी प्राप्त करें और एक
जागरूक उपभोक्ता बनें...



SHARAD

जनहित में जारी :




उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

રાષ્ટ્ર નેતૃત્વ કરતાં હો

સરતાર વળભાઈ પટેલ

31 અક્ટૂબર 1875 - 15 દિસેમ્બર 1950



સુવના ઓર પ્રસારણ મંત્રાલય
ભારત સરકાર

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2009-11

आई.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2009-11

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11

to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.



प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना